पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 917 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 12 /10/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '82वाँ' बैठक गुरुवार दिनांक 19.10.2023 को अपराह्न 3.00 बजे की विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना। (पृष्ठ क्र 01 से 10 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

2. **विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।**

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. **फार्मेसी संस्थान में माड्यूलर लैब निर्माण हेतु अनुबंधित फर्म मेसर्स M/S Hitendra Enterprises, Raipur द्वारा देयक राशि रु. 39,25,766.00 (रुपए उनतालीस लाख पच्चीस हजार सात सौ छैंसठ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक 251/विकास/2023 रायपुर दिनांक 15.03.2023 द्वारा फार्मेसी संस्थान मॉड्यूल लैब निर्माण कार्य हेतु आदेशित किया गया है। मेसर्स M/S Hitendra Enterprises, Raipur द्वारा भुगतान हेतु देयक क्रमांक 18/RSU/PHA, Date 06-08-2023 राशि रु. 39,25,766.00 (रुपए उनतालीस लाख पच्चीस हजार सात सौ छैंसठ मात्र) का भुगतान किया जाना है। देयक सक्षम प्राधिकर्ता/अधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

4. **सांई सदन एजुकेशन स्कूल, खसरा नं.– 153/1,प्लॉट नं.– 25/13, ग्राम– बेन्द्री, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)– 492001 में प्राचार्य की नियुक्ति के संबंध में बंद लिफाफा खोलना।**

   टीप : बंद लिफाफा पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।

मनोविज्ञान अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

5. **एम.ए. मनोविज्ञान सत्र 2023–24 में अतिरिक्त 15 सीट की वृद्धि की स्वीकृति के संबंध में विचार करना। (पृष्ठ क्र 11)**

   टीपः– एम.ए. मनोविज्ञान सत्र 2023–24 में प्रवेश हेतु 'फीस स्ट्रक्चर 2023–24' संलग्न है, जिसमें ट्यूशन फीस को 1760/– (रुपए एक हजार सात सौ साठ मात्र) के साथ 4940/– (रुपए चार हजार नौ सौ चालीस मात्र) वृद्धि कर कुल ट्यूशन फीस 6700/– (रुपए छः हजार सात सौ मात्र) लिया गया है, शेष फीस यथावत है। इस प्रकार पेमेंट सीट की फीस 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) राशि निर्धारित की गई है। कृपया अतिरिक्त 15 सीट पेमेंट सीट में वृद्धि के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष अनुमोदनार्थ एवं विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

6. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, के पत्र क्रमांक एफ 15–08/2023/38–1 दिनांक 06.10.2023 के परिपालन में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रुसा) के अंतर्गत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में संपादित नवीन निर्माण रिनोवेशन/उन्नयन एवं उपकरण क्रय कार्यों की संशोधित लागत राशि रु. 591.52 लाख प्राप्त की सूचना ग्रहण करना एवं कार्योत्तर स्वीकृति के संदर्भ में अनुमति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष प्रस्तुत।

7. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

आदेशानुसार,

12/10/23

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 918 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक/12/10/2023

प्रतिलिपि:–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ।

उप–कुलसचिव (अका.)

(1)

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

क्रमांक : 777 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 22/09/2023

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की '81वीं' बैठक शुक्रवार दिनांक 22.09.2023 को अपराह्न 03.00 बजे कुलपति सचिवालय के सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुएः–

डॉ. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति –अध्यक्ष

1. डॉ. व्यास दुबे – सदस्य
2. डॉ. अभया आर. जोगलेकर – सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे – सदस्य
4. डॉ. रोहिणी प्रसाद – सदस्य
5. डॉ. के.एन. शर्मा – सदस्य
6. डॉ. अल्फारेखा सी. जेम्स – सदस्य
7. डॉ. जे.एन. केशरवानी – सदस्य
8. डॉ. मनोज कुमार मिश्रा – सदस्य
9. श्रीमती प्रेमा गुलाब एक्का – सदस्य
10. डॉ. गिरिश चंदेल – सदस्य
11. श्री सत्यनारायण शर्मा – सदस्य

डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव –सचिव

कार्यवृत्त

1. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 एवं आपात बैठक 16.08.2023 के कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

2. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04.08.2023 एवं आपात बैठक 16.08.2023 की कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

3. सामान्य मद एवं परीक्षा मद से विभिन्न प्रकार के भुगतान हेतु राशि रू. 4,50,00,0000/–(चार करोड़ पचास लाख) सावधि पूर्व भुगतान प्राप्त कर परीक्षा मद खाता कमांक 10049590022 में रू. 3,00,00,000/– (तीन करोड़) एवं सामान्य मद खाता कमांक 10049590033 में रू. 1,50,00,000/– (एक करोड़ पचास लाख) स्थानांतरित किया गया की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

4. भारतीय स्टेट बैंक में विभिन्न मदों में जमा राशि से 4,00,00,000/–(चार करोड़) 30 दिन के लिए एवं 2,50,00,000/– (दो करोड़ पचास लाख) एक वर्ष के लिए, कुल राशि रू. 6,50,00,000/– (छः करोड़ पचास लाख) को सावधि जमा किए जाने की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

5. डॉ. गुणीश चंद्र शाकार, लैब टेक्नीशियन, के अवकाश नगदीकरण की राशि रू. 06,28,718.00 (रुपए छः लाख अठाईस हजार सात सौ अठारह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

6. सत्र 2023–24 हेतु छात्रवृत्ति चयन समिति के गठन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः सत्र 2023–24 छात्रवृत्ति चयन समिति के लिए निम्नलिखित तीन संकायाध्यक्षों का मनोनयन किया गया –

(1) डॉ. व्यास दुबे, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय

(2) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

(3) डॉ. शैल शर्मा, संकायाध्यक्ष, कला संकाय

7. बजट वित्तीय वर्ष 2023–24 में A. General Administration 33 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रू. 100.00 लाख में से राशि रू. 4.00 लाख (चार लाख) M Deposits & Debt Heads a. Student Aid Fund/Student Welf. मद में पुनर्विनियोजन करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

8. विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति 2021–22, 2022–23 एवं 2023–24 में चयनित छात्र/छात्राओं को भुगतान किये जाने हेतु वित्तीय सत्र 2023–24 के लिए बजट वित्तीय वर्ष 2023–24 में A. General Administration 33 E-Governance मद में प्रावधानित राशि रू. 100.00 लाख में से रू. 70,00,000/– (सत्तर लाख) A. General Administration 14 Scholarship award by university मद में पुनर्विनियोजन करने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

9. गोपनीय मुद्रण हेतु प्रावधानित बजट वित्तीय सत्र 2023–24 के परीक्षा मद 3. Result Procession Charge में प्रावधानित राशि रु. 1100.00 लाख में से परीक्षा मद क्रमांक 2 (c) Question Paper Printing में राशि रु. 210.00 लाख पुनर्विनियोजित किए जाने की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

10. दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को माह जुलाई–अगस्त, 2023 (26.07.2023 से 25.08.2023) तक का पारिश्रमिक राशि रू. 13,91,401/– (तेरह लाख इक्यानवे हजार चार सौ एक) किए गये भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति एवं भविष्य के लिए स्थायी अनुमति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करने के साथ–साथ भविष्य में इस संदर्भ में वेतन भुगतान हेतु कुलपति जी को स्थायी अनुमति प्रदान की गई।

11. श्री अंजनी कुमार टेंगवार, लैब अटेंडेंट को गुरू घासीदास केन्द्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के पत्र क्रमांक 1312/Rec/Admin Bilaspur 27 July 2023 के द्वारा Laboratory Assistant के पद पर चयन होने के फलस्वरूप परिनियम–31 की कंडिका 11 के प्रावधानानुसार उनके मांग अनुरूप 02 वर्ष का धारणाधिकार की स्वीकृति प्रदान करते हुए विश्वविद्यालय से कार्यमुक्त किये जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

12. विश्वविद्यालय के तृतीय/चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों को पदोन्नति/क्रमोन्नति प्रदान करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 17–08–2023 में की गई अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णयः 1. विश्वविद्यालय में कार्यरत 08 डाटा एन्ट्री आपरेटर्स को छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के परिपत्र क्रमांक 97/107/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 28 अप्रैल, 2008 (वित्त निर्देश 11/2008) में निहित प्रावधानानुसार 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के फलस्वरूप प्रथम समयमान वेतनमान प्रदान किए जाने की अनुशंसा।

2. द्वितीय श्रेणी लिपिक के एक रिक्त पद पर 2022 की अंतिम वरिष्ठता सूची अनुसार श्री भूपेन्द्र सिन्हा, नि.व.लि. को आदेश की तिथि से द्वितीय श्रेणी लिपिक के पद पर पदोन्नति की अनुशंसा।

3. श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. की प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने के कारण उनकी सेवाएं विश्वविद्यालय को वापस किए जाने के संबंध में अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर से तत्काल कार्यमुक्त करने हेतु पत्र प्रेषित किए जाने की अनुशंसा।

4. श्री हेमन्त कुमार के स्टेनोग्राफर के पद पर दिनांक 05.09.2013 को दी गई पदोन्नति पर संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, नवा रायपुर प्राप्त आपत्ति के निराकरण हेतु विनियम 91 में स्टेनोग्राफर के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हता अनुसार उल्लेखित समस्त दस्तावेजों सहित आवेदक को (पत्र जारी होने के) 15 दिवस के भीतर पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु गठित समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित होने के संबंध में अनुशंसा।

पदोन्नति/क्रमोन्नति हेतु गठित समिति द्वारा की गई उपर्युक्त अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

13. शारीरिक शिक्षा विभाग के लिए 300 नग ब्लेजर अनुबंधित फर्म M/s Shams Sports & Stationers, Sadar Bazar, Raipur (C.G.) के द्वारा आपूर्ति पश्चात् क्रय देयक राशि रु. 6,13,550/– (रुपए छः लाख तेरह हजार पाँच सौ पचास मात्र) के भुगतान की स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय सामान्य बजट A.Gen.Admn. 35/All Compu. Wi-fi Facility में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख में से रु. 5.00 लाख E. Director Phy. Edu. 3(ii) Creat Blazer and Tracsuit) में पुनर्विनियोजित करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

14. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह कारपेट एवं अन्य सामग्री क्रय देयक के 25 प्रतिशत शेष राशि रु. 07,61,100/– (रुपए सात लाख इकसठ हजार एक सौ मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

15. छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण, रायपुर एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य हुए अनुबंध की सूचना ग्रहण करना एवं Joint Certificate Course संचालित किए जाने की अनुमति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः छत्तीसगढ़ युवाओं के कौशल विकास का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा 1(च) के अंतर्गत अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय संस्थाओं से व्यावसायिक प्रशिक्षण) विनियम 2023 में निहित प्रावधानों के तहत कौशल प्रशिक्षण हेतु छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण एवं पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य दिनांक 28 अगस्त 2023 को **National Skills Qualifications Framework (NSQF)** आधारित कोर्स **(1. Operator-Conventional Turning, 2. Solar PV Installer, 3. Field Technician Networking and Storage. 4 Junior Software Developer)** में कौशल प्रशिक्षण हेतु किए गए अनुबंध में उल्लेखित नियम एवं शर्तों के अधीन पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के अंतर्गत **(Training Provider Institute (TPI)** के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

अनुबंध की सूचना ग्रहण करते हुए प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

(4)

16. विश्वविद्यालय एवं अन्य निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों के मध्य वर्ष 2023 में किए गए MoU की सूचना ग्रहण करना।

S. No.	Party	Pt.RSU Department	Purpose	MoU Sign Date
1	Indian Society for VLSI Education (ISVE), Ranchi, Jharkhand, India	Electronics	To establish a program to be established and formalized at a later date for the benefit of students of educational institutions.	14.07.2023
2	Ayodhya Research Institute Department of Culture, Government of Uttarpradesh, Lucknow	Ancient Indian History	For Research and Cultural Activities based on Ramayana.	14.07.2023
3	Shaheed Mahendra Karma Vishwavidyalaya, Bastar	Anthropology	For promotion of students training and quality graduate and postgraduate research in cutting edge areas.	21.07.2023
4	Atal Bihari Vajpayee Vishwavidyalaya, Bilaspur	-	Research based activities, academic, faculty and student exchange programme, collaboration and exchange of Laboratory facilities, Social Connect/Sports activities and National outreach programmes.	27.07.2023
5	Guru Ghasidas Kendriya Vishwvidyalaya, Bilaspur		Research based activities, academic, faculty and student exchange programme, collaboration and exchange of Laboratory facilities, Social Connect/Sports activities and National outreach programmes	05.08.2023
6	Dr. Ram Manohar Lohia Avadh University, Ayodhya (U.P.)	-	To establish a prgram of Academic Cooperation and Educational exchange.	10.08.2023
7	Chhattisgarh Rajya Kaushal Vikas Pradhikaran (CSSDA)		Training regarding	28.08.2023
8	The Inter-University Accelerator Center, New Delhi		Research & Training Acitivities	04.09.2023
9	Sant Gahira Guru Vishwavidyalya, Sarguja, Ambikapur		To establish a prgram of Academic Cooperation and Educational exchange.	05.09.2023

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

बायोटेक्नालाजी अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :-

17. विभिन्न शिक्षण संस्थानों के छात्र/छात्राओं को उनके लघु शोध परियोजनाओं एवं लघुशोघ प्रबंध पूरा करने की सुविधा मुहैया कराने एवं शोध निर्देशन के एवज में इस अध्ययनशाला ने शुल्क के रूप में अभी तक कुल 15,18,000/— (पन्द्रह लाख अठारह हजार) एकत्र किए हैं, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 14.02.2020 में लिए गए निर्णय अनुसार यह शुल्क (अ) अध्ययनशाला (ब) परियोजना निर्देशक (स) विश्वविद्यालय एवं (द) अध्ययनशाला के कर्मचारियों के बीच कमशः 30%, 30%, 30% एवं 10% की दर से वितरित होती है, परन्तु अध्ययनशाला में उपलब्ध शोध सुविधाओं को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से अध्ययनशाला में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने एकमत निर्णय लिया है कि इस एकत्रित शुल्क से अपना हिस्सा नहीं लेंगे तथापि इसका उपयोग शोध उपकरणों की खरीदी के लिए किया जावे। इसी तारतम्य में माननीय कार्यपरिषद् से अनुरोध है कि इस शुल्क में विश्वविद्यालय के हिस्से की जो 30% राशि है उसे इस अध्ययनशाला को अपने शोध सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु खर्च करने की अनुमति प्रदान करना चाहें ताकि छात्र/छात्राएं लधु शोध परियोजनाओं एवं लधुशोध प्रबंध को पूर्ण करने के लिए आकर्षित होगें।

तदनुसार प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

निर्णयः अध्ययनशाला में एकत्रित शुल्क के 70 प्रतिशत शोध उपकरणों की खरीदी एवं 30 प्रतिशत विश्वविद्यालय को प्रदान करने पर सहमति प्रदान की गई।

पं. सुन्दर लाल शर्मा ग्रंथागार से प्राप्त प्रस्ताव :-

18. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 09-06-2023 के कार्यवृत्त का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04-07-2023 विषय कमांक 12 में अनुमोदन पश्चात ग्रंथालय बजट 2023-24 में राशि रू. 52.10 लाख पुनर्विनियोजन करने के संबंध में सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

19. विश्वविद्यालय प्रेक्षागृह के 08 जीर्ण प्रसाधन का रिनोवेशन अनुबंधित फर्म मेसर्स स्वास्तिक ट्रेडर्स, रायपुर से पूर्ण कराया गया, कार्य की पूर्णता पश्चात भुगतान योग्य राशि रू. 08,38,044/- (आठ लाख अड़तीस हजार चवालीस) बजट शीर्ष Engineering Unit के सरल कमांक 3(d) में प्रावधानित राशि 100.00 से किए जाने की अनुमति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :-

20. मूल विज्ञान केन्द्र में अष्टम सेमेस्टर के 20 छात्र छात्राओं को माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 हेतु कुल राशि रू. 5,55,524/- (पांच लाख पचपन हजार पांच सौ चौबीस) छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने पूर्व माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

21. मूल विज्ञान केन्द्र में दशवें सेमेस्टर के 26 छात्र छात्राओं को माह दिसंबर, 2022 से जून, 2023 हेतु कुल राशि रू. 8,32,633/- (आठ लाख बत्तीस हजार छः सौ तैतीस) छात्रवृत्ति भुगतान किये जाने पूर्व माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृतार्थ प्रस्तुत।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

वाहन प्रकोष्ठ से प्राप्त प्रस्ताव :-

22. विश्वविद्यालय के समस्त वाहनों की ईंधन आपूर्ति देयक राशि रू. 13,32,954/- (तेरह लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौव्वन) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः वाहन प्रकोष्ठ के अंतर्गत संचालित विश्वविद्यालय के समस्त वाहनों की ईंधन आपूर्ति देयकों माह मई, 2023, जून, 2023, जुलाई, 2023 तथा अगस्त के प्रथम पखवाड़े की कुल राशि रू. 13,32,954/- (तेरह लाख बत्तीस हजार नौ सौ चौव्वन) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

1. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः संपुष्टि की गई।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :-

2. विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को आवेदन के आधार पर उनसे संबंधित अध्ययनशालाओं के रिक्त शैक्षणिक पदों पर दिनांक 01.10.2023 से अध्यापन कार्य हेतु अतिथि प्राध्यापक/निश्चित मानदेय पर नियुक्त (नियमित नियुक्ति तक) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः आवेदन के आधार पर उच्च शिक्षा विभाग को **Pay Minus Pension** को आधार मानते हुए निम्नांकित शिक्षकों को संविदा नियुक्ति हेतु प्रस्ताव भेजे जाने का निर्णय लिया गया -

1. डॉ. मिताश्री मित्रा (मानवविज्ञान)
2. डॉ. भगवंत सिंह (तुलनात्मक धर्म दर्शन एवं योग)
3. डॉ. ए.के. गुप्ता (जैविकी)
4. डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता (पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार)

3. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक पदों के भर्ती हेतु छ.ग. शासन से संशोधित स्वीकृति पत्र जारी होने की प्रत्याशा में प्राप्त स्वीकृति दिनांक 28.08.2023 के परिप्रेक्ष्य में शैक्षणिक पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, कि कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

4. शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पश्चात् आगामी तिथि पर वेतनवृद्धि संबंधी वित्त निर्देश 26/2023, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्र. 439/2020/वि/नि/चार, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03.08.2023 को अंगीकृत करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अंगीकृत किया गया।

5. डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अ.शा. के निलंबन काल को कर्त्तव्य अवधि के संबंध में विचार करना।

निर्णय :डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अ.शा. के निलंबन काल को कर्त्तव्य अवधि के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में समिति का गठन किया गया, जो अपना प्रतिवेदन आगामी कार्यपरिषद् से पूर्व प्रस्तुत करेंगे। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –

(1) डॉ. रोहिणी प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(2) वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

6. राज्य शासन कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ प्रदाय के संबंध में विचार करना।

निर्णयः राज्य शासन कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालय के शिक्षकों/अधिकारियों एवं कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन योजना (Old Pension Scheme) का लाभ प्रदाय करने के संबंध में सैद्धांतिक सहमति के साथ शासन से स्वीकृति हेतु पुनः पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

7. विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सांतवें वेतनमान) में पेंशन प्रदाय किए जाने हेतु विधिवत आदेश जारी किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालय से दिनांक 01.01.2016 के पश्चात् सेवानिवृत्त शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को छ0ग0 पुनरीक्षित वेतनमान 2017 (सांतवें वेतनमान) में पेंशन प्रदाय किए जाने हेतु सैद्धांतिक सहमति के साथ विधिवत आदेश जारी किए जाने के लिए शासन को पुनः पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

8. कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ. ग. –आवेदक डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त क्रीडाधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद के "उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान" प्रकरण कमांक 32/2023 के संबंध में विचार करना।

निर्णयः कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर (छ.ग.) न्यायालय पेशनर्स लोक अदालत रायपुर छ.ग. –आवेदक डॉ. रविन्द्रनाथ मिश्रा, सेवानिवृत्त क्रीडाधिकारी, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महासमुंद के "उपस्थिति दिवसों के लंबित वेतन भुगतान" प्रकरण कमांक 32/2023 के संबंध में समिति गठन किया गया, जो अपना प्रतिवेदन आगामी कार्यपरिषद् से पूर्व प्रस्तुत करेंगे। समिति में निम्नांकित सदस्य होंगे –

(1) वित्त विभाग छ.ग. शासन से नामित एक प्रतिनिधि

(2) उच्च शिक्षा विभाग छ.ग. शासन से नामित एक प्रतिनिधि

(3) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(4) डॉ. राजीव चौधरी, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

9. विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान के संबंध में विचार करना।

निर्णयः विश्वविद्यालयीन शिक्षकों के सातवें वेतनमान के 01.01.2016 से 31.03.2018 तक के एरियर्स भुगतान के संबंध में सैद्धांतिक सहमति के साथ शासन को पुनः पत्र प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

10. अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील अभ्यावेदन – डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.)

निर्णय :अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील अभ्यावेदन – डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध संस्थान, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर (छ.ग.) की अनुपस्थिति अवधि के संदर्भ में अवकाश नियमों के आलोक में प्रकरण के परीक्षण तथा संस्तुति के संबंध में समिति गठन किया गया, जो अपना प्रतिवेदन कार्यपरिषद् की आगामी बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेंगे। समिति के सदस्य निम्नलिखित होंगे –

(1) डॉ. रोहिणी प्रसाद, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(2) डॉ. व्यास दुबे, आचार्य एवं अध्यक्ष, सांख्यिकीय अध्ययनशाला एवं कार्यपरिषद् सदस्य, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

(3) वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर

11. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदोन्नति/पदोन्नति चैनल बनाए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः डाटा एन्ट्री ऑपरेटर की पदोन्नति/पदोन्नति चैनल बनाए जाने हेतु व्यय भार की जानकारी सहित सहायक प्रोग्रामर/सहायक कम्प्यूटर प्रोग्रामर के 10 पद (वेतनमान 9300–34800/4200 लेवल 8) स्वीकृत किए जाने पर विचार किए जाने हेतु प्रकरण आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित किए जाने का निर्णय लिया गया।

12. छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 571/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक 12/09/2023, वित्त निर्देश 33/2023 के अनुसार सीधी भर्ती के पदों पर 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रथम 03 वर्ष में क्रमशः वेतनमान के न्यूनतम का 70% 80% एवं 90% स्टायपेण्ड दिये जाने के प्रावधान को समाप्त करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः छत्तीसगढ़ शास वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक 571/260/वि./नि./चार/2020 नवा रायपुर, दिनांक 12/09/2023, वित्त निर्देश 33/2023 को अंगीकृत किया गया।

<u>वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

13. डॉ. निस्तर कुजूर, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, समाजशास्त्र अध्ययनशाला द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान दिनांक 23.08.2023 को भूखण्ड क्रय हेतु राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

14. डॉ. ए.के. गुप्ता, प्रोफेसर जैविकी अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 43,91,425.00 (रुपए तिरालीस लाख इंक्यानबे हजार चार सौ पच्चीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

(8)

15. श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 12,57,598.00 (रुपए बारह लाख संतावन हजार पाँच सौ अंठानबे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

16. श्री विष्णु राम वर्मा, कनिष्ठ अधीक्षक, वित्त विभाग के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 5,73,680.00 (रुपए पाँच लाख तिहत्तर हजार छः सौ अस्सी मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

17. विभिन्न अध्ययनशालाओं के अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय भुगतान हेतु स्थाई स्वीकृति प्रदान किए जाने एवं कुल 62 अतिथि शिक्षकों के माह अप्रैल–मई 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 16,56,900.00 (रुपए सोलह लाख छप्पन हजार नौ सौ मात्र) एवं 64 अतिथि शिक्षकों के माह जुलाई–अगस्त 2023 के मानदेय की कुल राशि रु. 17,40,600.00 (रुपए सत्रह लाख चालीस हजार छः सौ मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही अध्ययनशालाओं के अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह मानदेय भुगतान हेतु कुलपति जी को स्थायी स्वीकृति प्रदान की गई।

18. शिक्षकों, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं सेवानिवृत्त को माह जुलाई–2023 के डीए की अंतर की राशि एरियर्स के भुगतान उपरांत कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>रसायन अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

19. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई को शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु MoU के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भिलाई को शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग हेतु Memorandum of Understanding (MoU) प्रस्तावित किया गया है। यह समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच छात्रों और शिक्षकों को अनुसंधान, विकास और प्रशिक्षण की दृष्टि से उत्कृष्ट अवसर प्रदान करेगा। एम.ओ.यू. हस्ताक्षर करने की तिथि से 05 वर्ष तक वैध रहेगा।

MoU की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार है :–

1. **सामाजिक परिवर्तन के लिए FINTECH परियोजना में सहयोग एवं अनुदान प्राप्ति के अवसर।**
2. **संयुक्त डिग्री कार्यक्रम यथा बी.टेक.–बी.एड्. जैसे पाठ्यक्रमों के संयुक्त संचालन के अवसर।**
3. **आपसी हित के विषयों पर संयुक्त रूप से अल्पकालिक सतत शिक्षा कार्यक्रम तथा संयुक्त सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के संचालन के अवसर।**

प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान की गई।

20. कंसल्टेंसी रेगुलेशन के अंतर्गत रूटीन टेस्टिंग (Chemical/Instrumental Sample analysis) फीस तथा नियम एवं शर्तों की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

<u>गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–</u>

21. वार्षिक परीक्षा 2023 में लापरवाही बरतने वाले प्राचार्य/केन्द्राध्यक्ष को चेतावनी तथा संबंधित वीक्षकों को नियमानुसार परीक्षा कार्यों से आगामी वर्षों के लिए डी–बार करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः संबंधित विक्षकों को 03 वर्ष के लिए डी–बार करने का अनुमोदन किया गया।

22. वार्षिक परीक्षा 2023, बी.ए. भाग–3 एवं बी.एस–सी. भाग–3 (विषय–आधार पाठ्यक्रम अंग्रेजी) के घोषित परीक्षा परिणाम के संबंध में विचार करना।

निर्णयः उत्तर–पुस्तिका के मूल मूल्यांकनकर्ता को परीक्षा कार्य से 03 वर्ष के लिए डी–बार किए जाने का अनुमोदन किया गया।

मानव संसाधन विकास केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :–

23. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र D.O.No. F.1-5/2022(CBCfqw/ties) Pt.Fie के द्वारा Human Resource Development Centre का नाम परिवर्तन कर Malaviy Mission Teacher Training Centre (MMTTC) किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

24. विश्वविद्यालय के पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए पुस्तक क्रय के संबंध में विचार करना।

निर्णय :विश्वविद्यालय के पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार एवं विभिन्न अध्ययनशालाओं के लिए पुस्तक क्रय हेतु निविदा सूचना क्र. 671/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 15.09.2023 छ.ग. संवाद के माध्यम से 02 प्रदेश स्तरीय एवं 02 राष्ट्रीय स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित करने हेतु पत्र क्र. 670/विकास/2023 रायपुर, दिनांक 15.09.2023 प्रेषित किया गया है। पुस्तक क्रय हेतु विश्वविद्यालय बजट में रु. 50=00 लाख (रुपए पचास लाख मात्र) का प्रावधान किया गया है, की सूचना ग्रहण की गई।

मूल विज्ञान केन्द्र से प्राप्त प्रस्ताव :–

25. मूल विज्ञान केंद्र के द्वितीय सेमेस्टर के 37 छात्र–छात्राओं को माह दिसम्बर 2022 से जून 2023 हेतु कुल राशि रु. 6,53,267/– (रुपए छः लाख तीरपन हजार दो सौ सड़सठ मात्र) छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

यांत्रिकी विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

26. लोक निर्माण विभाग के पत्र दिनांक 12.09.2023 के अनुसार डिपाजिट मद के तहत संपादित किए जाने वाले कार्यों के लिए सम्पूर्ण राशि रूसा योजना के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को राशि रु. 295.32 लाख का भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

1. Ideathon के आयोजन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः Ideathon के माध्यम से प्रतिवर्ष UTD छात्रों के Innovation Ideas आमंत्रित कर उसमें से 05 सर्वोत्तम Ideas वाले छात्र/छात्र समूह को प्रति Ideas रुपए 10,000/– (रुपए दस हजार मात्र) प्रोत्साहन राशि प्रदान करते हुए इन 05 Ideas को विश्वविद्यालय शिक्षक (50 वर्ष से कम आयु के) के पर्यवेक्षण में Research Projects में परिवर्तित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तदोपरांत इन 3 से 4 Research Projects को गुणवत्ता मूल्यांकन के उपरांत विश्वविद्यालय द्वारा रु. 3.00 लाख से 5.00 लाख तक की Startup Grant प्रदान की जाएगी। इस प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2024–25 से लागू किए जाने की सहमति के साथ Ideathon आयोजन की अनुमति प्रदान की गई। आवश्यकतानुसार इस संदर्भ में विनियम बनाए जाने की स्वीकृति दी गई।

2. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 4 के निर्णय शासकीय दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अर्थशास्त्र विषय में शोध केंद्र की मान्यता प्रदान करने के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अनुमोदन किया गया।

3. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 6 के निर्णय प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 पर विचार करना।

निर्णयः प्रस्तावित संशोधित अध्यादेश क्रमांक 149 एवं 150 का अनुमोदन किया गया।

4. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 8 के निर्णय बी.एस–सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 उप कंडिका 2 के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण के संबंध में विचार करना।

निर्णयः निर्णयः बी.एस–सी. के अध्यादेश क्रमांक 21 की कंडिका 6 की उप कंडिका (ii) के सरल क्रमांक 26 एवं 27 में विषय समूह निर्धारण हेतु अध्यक्ष अध्ययन मण्डल द्वारा निम्नानुसार विषय समूह निर्धारण किए जाने का अनुमोदन किया गया –

(26) Physics, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application.

(27) Chemistry, Mathematics, Computer Science/Information Technology/Computer Application

5. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 13 में प्रस्तावित पं. रविशंकर विश्वविद्यालय में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में प्रस्तावित विनियम के संबंध में विचार करना।

निर्णयः पं. रविशंकर विश्वविद्यालय में Distinguished Professor के Honorary Engagement के संबंध में विनियम क्रमांक 204 का अनुमोदन किया गया।

6. पूरक विषय सूची प्रस्ताव बिंदु–1 के अंतर्गत विश्वविद्यालय विद्या–परिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 14 के निर्णय स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधित अध्यादेश क्रमांक 197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश के संबंध में विचार करना।

निर्णयः स्नातक स्तर चार वर्षीय पाठ्यक्रम (FYUP) संबंधित अध्यादेश क्रमांक 197 में संशोधन/एकरूपता हेतु गठित समिति द्वारा आवश्यक संशोधन उपरांत प्रस्तुत अध्यादेश का अनुमोदन किया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

22/9/2023 — 22/9/23

कुलपति
अध्यक्ष

कुलसचिव
सचिव

पृ.क्रमांक : 778 /अका./का.प/2023 रायपुर, दिनांक 22/09/2023

प्रतिलिपि :–

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर।
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
3. आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, ब्लॉक–सी–3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर।
4. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
6. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.
7. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्/जनसंपर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
8. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, अंकेक्षण,
9. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप–कुलसचिव (अका.)

M.A. I st Sem. Psychology

Fee Structure - 2023-24

No.	Fee	Amount
01	Admissionn. Fee	120.00
02	Alumini Fee	200.00
03	Amalgamated. Fee UTD	75.00
04	Career Counselling	20.00
05	Endowment Fee	25.00
06	Identity. Card	50.00
07	Lab. Caution Money	500.00
08	Lab. Annual Fee	1000.00
09	Lib. Annual Fee	120.00
10	Library Caution Money	600.00
11	Library Development Fee	125.00
12	Online Processing Fee	50.00
13	Phy.Edu.Fee	50.00
14	Phy. Wel Fee	150.00
15	Placement	20.00
16	SAF	15.00
17	Student Union Fee	60.00
18	Student Wel. Fee	25.00
19	Tution Fee	1760.(Per Year) +4940=6700
20	Univ. Admn	60.00
21	Univ. Mag. Fee	35.00
Total		**10000.00**
22	Enr. Fee	150.00
Total		**10150.00**
23	Mig./Imm.	360.00
Total		**10510.00**

टीप– वे छात्र/छात्रा जिसका पूर्व वर्षो में नामांकन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में नहीं है दूसरे विश्वविद्यालय में है उन्हें **नामांकन शुल्क** 150 रूपये अतिरिक्त देय होगा । तथा छ.ग. के बाहर के विश्वविद्यालयों से आये छात्र–छात्राओं को **अप्रवासन शुल्क(Imigration Fees)** 360/– देना होगा । वि.वि. विवरण पत्रिका 2023–24 के अनुसार अन्य राज्यों के प्रवेशित विद्यार्थियों को निर्धारित शिक्षण शुल्क **(Tution Fee)** का दो गुना जमा करना होगा।

Online Fees Paid करने का Process = www.prsu.ac.in ---> Online Payment For SoS(New) ---> Select Transaction -----> New Payment ---> Student Mobile NO. OTP Send Message------> Student Name Details Show---->All Fees Details -----> choose All payment Fees Type ----->Submit ------->Paid Debit Card/Internet Banking Etc------->Print

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाषः 0771–2262802(अकादमिक), 0771–2262540 (कुलसचिव), फैक्स– 0771–2262818, 2262607

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की स्थगित '82वाँ' बैठक दिनांक 19.10.2023 की बैठक बुधवार दिनांक 20.12.2023 को अपराह्न 3.00 बजे की पूरक विषयसूची

1. **विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 19.12.2023 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि प्रदान करना।** **(पृ. क्रमांक 01 से 08 तक)**

   टीपः कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न है।

वित्त विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

2. **डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/4503/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 31.10.2023 के परिपालन में डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला के दिनांक 31.10.2023 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पात्रतानुसार 240 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

   2. डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) का भुगतान किया जाना है।

   उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

3. **डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 35,92,013.00 (रुपए पैंतीस लाख बयानबे हजार तेरह मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीपः डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक मनोविज्ञान अध्ययनशाला का दिनांक 31.10.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 35,92,013.00 (रुपए पैंतीस लाख बयानबे हजार तेरह मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

4. **डॉ. ए.के. गुप्ता, प्राध्यापक, लाईफ साइंस अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रुपए 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

   टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/4503/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 31.10.2023 के परिपालन में डॉ. ए.के. गुप्ता, प्राध्यापक, लाईफ साइंस अध्ययनशाला के दिनांक 31.08.2023 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पात्रतानुसार 240 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

   2. डॉ. ए.के. गुप्ता, प्राध्यापक, लाईफ साइंस अध्ययनशाला को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रुपए 24,78,752.00 (रुपए चौबीस लाख अठहत्तर हजार सात सौ बावन मात्र) का भुगतान किया जाना है।

   उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

5. **डॉ. के.के. वर्मा, तकनीकी अधिकारी, भू–विज्ञान अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 28,73,706.00 (रुपए अठाईस लाख तीहत्तर हजार सात सौ छः मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः डॉ. के.के. वर्मा, तकनीकी अधिकारी, भू–विज्ञान अध्ययनशाला का दिनांक 31.10.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. रु. 28,73,706.00 (रुपए अठाईस लाख तीहत्तर हजार सात सौ छः मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

6. **डॉ. व्ही.के. दीक्षित, तकनीकी अधिकारी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 19,98,245.00 (रुपए उन्नीस लाख अनठानबे हजार दो सौ पैंतालीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः डॉ. व्ही.के. दीक्षित, तकनीकी अधिकारी, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला का दिनांक 31.08.2023 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप नियमानुसार 2(i) सी.पी.एफ. का अंतिम भुगतान राशि रु. 19,98,245.00 (रुपए उन्नीस लाख अनठानबे हजार दो सौ पैंतालीस मात्र) भुगतान किया जाना है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

7. **श्री सुनीत कुमार उपाध्याय, सुपरवाइजर, विश्वविद्यालय प्रेस के आवेदन अनुसार पुत्री के विवाह हेतु भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) के भुगतान की कार्योत्तर स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः श्री सुनीत कुमार उपाध्याय, सुपरवाइजर, विश्वविद्यालय प्रेस पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर द्वारा भविष्य निधि से आंशिक पूर्ण भुगतान फलस्वरूप प्राप्त आवेदन दिनांक 07.11.2023 द्वारा पुत्री के विवाह हेतु राशि रु. 10,00,000.00 (रुपए दस लाख मात्र) भुगतान किया गया है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष कार्योत्तर स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

8. **विश्वविद्यालय के दैनिक वेतन भोगी के वेतन भुगतान हेतु A General Administration 22 Automation of Fin. Academic Admn.Office/Admin Block मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख के पुनर्विनियोजन पश्चात् शेष राशि रु. 97.00 लाख में से F. Examination and evaluation administration 13-Honorarium for examination purpose मद के लिए राशि रु. 11.50 लाख बजट 2023–24 में पुनर्विनियोजन के अनुमोदन पर विचार करना।**

टीपः A General Administration 22 Automation of Fin. Academic Admn.Office/Admin Block मद में प्रावधानित राशि रु. 100.00 लाख के पुनर्विनियोजन पश्चात् शेष राशि रु. 97.00 लाख में से F. Examination and evaluation administration 13-Honorarium for examination purpose मद के लिए राशि रु. 11.50 लाख बजट 2023–24 में पुनर्विनियोजन हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

9. **शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स भुगतान किये जाने की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीपः 1. वि.वि. के आदेश क्र. 737/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 17/02/2023, क्र. 1344/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 27/03/2023, क्र. 2139/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 12/05/2023. क्र. 2583/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 06/06/2023, क्र. 377/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 27/01/2023, क्र. 697/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 16/02/2023 तथा क्र. 699/स्था./सा. प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 16/02/2023 के द्वारा शिक्षकों को कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदोन्नति तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के अकादमिक लेवल 10 से 11 तथा 11 से 12 पर स्तरोनयन/पदोन्नति के फलस्वरूप

वेतन निर्धारण संचालक संचालनालय, छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ.ग.) के द्वारा अंतिम रूप से पारित किया गया है। (आदेश की प्रति संलग्न) ।

2. उक्त आदेश के परिपालन में संबंधित शिक्षकों को देय तिथि से कैरियर एडवांसमेंट योजना के तहत पदोन्नति के फलस्वरूप वेतनमान का निर्धारण के उपरांत वेतन अंतर के एरियर्स भुगतान किया जाना है।

3. वि.वि. के उक्त आदेश को अंगीकृत कर कुल एरियर्स की राशि आयकर एवं सीपीएफ कटौती सहित कुल राशि रू. 29,87,164/– (रूपये उन्तीस लाख सत्तासी हजार एक सौ चौसठ मात्र) भुगतान की स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

10. **डॉ. व्ही.के. दीक्षित, तकनीकि अधिकारी (से.नि.) अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 10,09,052/– (रूपये दस लाख नौ हजार बावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/4582/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 07.11.2023 के परिपालन में डॉ. व्ही.के. दीक्षित, तकनीकि अधिकारी (से.नि.) अर्थशास्त्र अध्ययनशाला के दिनांक 31.08.2023 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पात्रतानुसार 187 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. डॉ. व्ही.के. दीक्षित, तकनीकि अधिकारी (से.नि.) अर्थशास्त्र अध्ययनशाला को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि रु. 10,09,052/– (रूपये दस लाख नौ हजार बावन मात्र) का भुगतान किया जाना है।

उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

11. **डॉ. कृष्ण कुमार वर्मा, तकनीकि अधिकारी (से.नि.), भू–विज्ञान अध्ययनशाला के अवकाश नगदीकरण की राशि रु. 15,09,933/– (रूपये पंन्द्रह लाख नौ हजार नौ सौ तैतीस मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

टीप : 1. विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक/4484/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर, दिनांक 31.10.2023 के परिपालन में डॉ. कृष्ण कुमार वर्मा, तकनीकि अधिकारी (से.नि.), भू–विज्ञान अध्ययनशाला के दिनांक 31.10.2023 को अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर पात्रतानुसार 232 दिनों के अर्जित अवकाश के समर्पण को स्वीकार कर नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. डॉ. कृष्ण कुमार वर्मा, तकनीकि अधिकारी (से.नि.), भू–विज्ञान अध्ययनशाला को अवकाश नगदीकरण की कुल राशि **रु.** 15,09,933/– (रूपये पंन्द्रह लाख नौ हजार नौ सौ तैतीस मात्र) का भुगतान किया जाना है।

उपर्युक्त अनुसार भुगतान स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

12. **संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय के वित्तीय सत्र 2023–24 बजट प्रावधान के वृद्धि के संबंध में विचार करना।**

टीप : संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग, पं. रविशंकर शुक्ल, विश्वविद्यालय, रायपुर के बजट वित्तीय सत्र 2023–24 में सकल प्रावधानित राशि रु. 55.50 लाख में विभाग के प्रस्ताव अनुसार विभागीय मद Director of Physical Education, 3(i) a & b में वृद्धि किए जाने के संबंध में, प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

13. **श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. की प्रतिनियुक्ति के संबंध में विचार करना।**

टीपः श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. को बिलासपुर विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 154/स्था.प्रशा./2017 दिनांक 08.02.2017 के द्वारा प्रतिनियुक्ति हेतु प्राप्त सहमति के आधार पर विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 750/सा.प्रशा./2017 दिनांक 21.02.2017 के द्वारा एक वर्ष के लिए बिलासपुर विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति नियम एवं शर्तों के तहत भारमुक्त किया गया था।

कुलसचिव, अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर के द्वारा अपवने पत्र क्र. 638/स्था.प्रशा./2021 दिनांक 28.09.2021 को श्री धनेश प्रसाद चौबे, नि.व.लि. को बिलासपुर विश्वविद्यालय में संविलियन हेतु सहमति चाही गई थी, जिस पर तत्कालीन कुलसचिव/कुलपति जी के द्वारा शासन से पत्र प्राप्त होने के पश्चात् कार्यवाही किए जाने हेतु आदेश दिए गए थे, किंतु इस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई है। संविलियन किए जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र के लिए राज्य शासन को पत्र प्रेषित किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

14. **श्रीमती नीरजा भगत, ग्रंथालय सहा. ग्रेड–1, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार (वर्तमान में शास. रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर में ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत) के आवेदन दिनांक 06.11.2023 के द्वारा दो वर्ष धारणाधिकार की समाप्ति उपरांत विश्वविद्यालय की सेवा से त्याग करने एवं बकाया राशि एवं सेवा–पुस्तिका प्रदान करने के अनुक्रम में सेवा दिनांक 18.10.2023 से समाप्त किए जाने, संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त किए जाने एवं कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मूल सेवा–पुस्तिका वर्तमान विभाग को प्रेषित किए जाने के संबंध मे विचार करना।**

<u>टीप</u> : श्रीमती नीरजा भगत, ग्रंथालय सहा. ग्रेड–1, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार (वर्तमान में शास. रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर में ग्रंथपाल के पद पर कार्यरत) ने अपने पत्र दिनांक 06.11.2023 के द्वारा दो वर्ष के धारणाधिकार की समाप्ति के उपरांत ग्रंथालय सहा. ग्रेड–1, पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथालय, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का पद त्याग करने एवं बकाया राशि एवं सेवा–पुस्तिका प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

उक्त संबंध में लेख है कि श्रीमती नीरजा भगत पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर स्थित पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार में ग्रंथालय सहायक ग्रेड–1 के पद पर कार्यरत थीं, जिन्हें छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्र. एफ 1–47/2021/38–1 दिनांक 05.10.2021 के द्वारा शास. रेवती रमण मिश्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सूरजपुर (छ.ग.) में ग्रंथपाल के पद पर नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के आदेश क्र. 3203/सा.प्रशा./2021 दिनांक 18.10.2021 के द्वारा परिनियम–31 की कंडिका 11 के प्रावधानानुसार 18.10.2021 से 17.10.2023 तक दो वर्ष का धारणाधिकार स्वीकृत करते हुए कार्यमुक्त किया गया था, जो दिनांक 17.10.2023 को समाप्त हो गया है।

अतः संबंधित से प्राप्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती नीरजा भगत, ग्रंथालय सहायक ग्रेड–1 की सेवा दिनांक 18.10.2023 से की जानी है। (अ)

संबंधित विभागों से अदेय प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना है, तदुपरांत विश्वविद्यालय के दय स्वत्वों का नियमानुसार भुगतान किया जाना है। (ब)

विश्वविद्यालय द्वारा उपर्युक्त कार्यवाहियाँ पूर्ण होने के उपरांत इनकी मूल सेवा–पुस्तिका वर्तमान विभाग को प्रेषित किया जाना है। (स)

अंश 'अ', 'ब' एवं 'स' के संबंध में अग्रिम कार्यवाही किए जाने हेतु प्रकरण माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

15. **शिक्षकों की रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन कमांक 3916/Estb/Gen.Adm./2023 Raipur dt. 06.09.2023 पर प्राप्त आवेदन के संबंध मे विचार करना।**

टीप : विषयांतर्गत छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर के पत्र कमांक एफ 3–5/2021/38–2 नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 28.08.2023 के द्वारा सीधी भर्ती के 51 शैक्षणिक एवं 10 अशैक्षणिक (प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी) पदों पर अनुमति शासन से प्राप्त हुई थी, जिसके परिपेक्ष्य में 49 शैक्षणिक पदों पर विश्वविद्यालय द्वारा सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन कमांक **3916/Estb/Gen.Adm./2023 Raipur dt. 06.09.2023** जारी किया गया था । जिसकी अंतिम तिथी 11.10.2023 थी । उक्त तिथी तक कुल 375 आवेदन प्राप्त हुए तथा जिनमें से 373 आवेदन विधिवत स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से तथा 02 आवेदन कुरियर के माध्यम से प्राप्त हुए, जिनमें से 53 आवेदन दिनांक 11.10.2023 के पूर्व डाक विभाग से रजिस्टर्ड हुए है तथा 02 आवेदन **अंतिम तिथी 11.10.2023** के पश्चात डाक विभाग से रजिस्टर्ड प्राप्त हुए है ।

अतः प्राप्त आवेदनों के संबंध में निम्नांकित प्रकिया अपनाया जाना प्रस्तावित :–

1. अंतिम तिथी दिनांक 11.10.2023 उपरांत कुल 55 आवेदन (जिनमें से 02 आवेदन, आवेदन हेतु निर्धारित अंतिम तिथी 11.10.2023 के पश्चात डाक से प्रेषित किए गए है) भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किए जाने के संबंध में नीतिगत निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है ।
2. प्राप्त आवेदनों के लिफाफा को खोलकर आवेदनों को Page Numbering किया जाना।
3. Paging उपरांत समस्त आवेदनों को Page Numbering कर हार्डडिस्क में सुरक्षित रखा जाना।
4. Scanning उपरांत प्राप्त समस्त आवेदनों को Listing कर स्कुटनी समिति को सौंपना। स्कुटनी समिति में निम्नलिखित सदस्य रखा जाना प्रस्तावित।
   (a) IQAC director
   (b) विभागाध्यक्ष (जो संबंधित विषय विशेषज्ञता धारित करता हो)
   यदि विशेषज्ञता धारित करने वाला विभागाध्यक्ष न हो तो कुलपति जी की अनुमति से संकायाध्यक्ष अथवा ब्राह्य विशेषज्ञ को रखा जाना प्रस्तावित ।
   (c) Dr. B.S. Thakur, HOD (SoS in Mathematics)
   (d) Dr. K.K. Sahu, HoD (SoS in Biotechnology)
   (e) Dr. S.J. Daharwal, HoD (Institute of Pharmacy)
   (f) Dr. Sunil Kumetee, Assistant Pforessor (SoS in Economics)
5. आवेदनों की जांच उपरांत API Score के लिए IQAC को भेजा जाना एवं IQAC से Screening समिति का प्रस्ताव प्राप्त कर कार्यपरिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित ।
6. प्राप्त आवेदनों को खोलकर Paging Scanning, एवं Listing कर स्कुटनी समिति के समक्ष रखने के लिए निम्नानुसार समिति का गठित किया जाना प्रस्तावित :–
   (a) श्रीमति शोभना सिंह, सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
   (b) श्री महेन्द्र सिंह पटेल, उ.श्रे.लि. वर्ग 2
   (c) श्री गिरीश कुमार सेन, उ.श्रे.लि. वर्ग 2
   (d) श्री प्रभात कुमार झा, उ.श्रे.लि. वर्ग 2
   (e) श्री मनोज कुमार यदु, डाटा एंट्री आपरेटर
7. प्राप्त पूर्व आवेदनों में से संबंधित कुल 05 आवेदकों के द्वारा आवेदन पत्र ईमेल/डाक के माध्यम से पत्र प्राप्त हुए है, जिनके विवरण निम्नानुसार है :–

कमांक	आवेदक	विवरण	संलग्न
01.	डॉ. मधुलता बारा, एसोसिएट प्रोफेसर, भाषा एवं साहित्य पं. रवि.वि.वि. रायपुर आवेदन दिनांक 07.11.2023	भूलवश पूर्व में प्रेषित विज्ञापन के लिए आवेदन में डी.डी. के स्थान पर रेमुनरेशन का चेक स्वंय के नाम पर जमा कर दिया गया है।	डी.डी. कमांक 397345 एस.बी. आई दिनांक 30.09.2023 संलग्न कर आवेदन में शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया है।

02.	डॉ. रमेश कुमार टंडन, ग्राम –फूलबंधिया, तह.– खरसिया जिला– रायगढ छग आवेदन दिनांक 13.10.2023	डाक विभाग की लापरवाही के कारण आवेदन विलंब से पहुंचना का लेख किया गया है।	डाक विभाग के विलंब के कारण आवेदन को सम्मिलित किए जाने का अनुरोध किया गया है।
03.	श्री अमित सोनी, आईजीएनटीयू, अमरकंटक म.प्र. आवेदन दिनांक 16.11.2023	16.11.2023 अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर आवेदन में शामिल करने हेतु अनुरोध किया गया है।	इंदिरा गांधी जनजातिय विश्वविद्यालय अमरकंटर का अनापत्ति प्रमाण पत्र (विज्ञापन की कंडिका कमांक 6 में साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने का उल्लेख है)
04.	डॉ. प्रीतिबाला चंद्राकर, शासकीय महा. दुर्ग	एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल के आवेदन में रिसर्च पेपर स्वीकार करने बाबत्	आवेदन में लिखित के अनुसार
05.	डॉ. कुबेर सिंह, Vill.-Bhulandabari Post & Tehsil- Gurur Dist.- Balod Chhattisgarh	एसो. प्रोफेसर भूगोल के हस्तलिखित आवेदन के स्थान पर प्रिटेंड आवेदन जमा करने के संबंध में	प्रिटेंड आवेदन

8. IQAC से प्राप्त सीधी भर्ती के लिए Criteria for Shortlisting of candidates, Academic/Resarch Score Sheets, and Selection criteria के प्रारूप को माननीय कार्यपरिषद के समक्ष कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तावित ।
9. सीधी भर्ती क लिए Assistant Professor, Associate Professor, एवं Professor हेतु IQAC Screening Committee का गठन निम्नानुसार प्रस्तावित है :–
   i. Director, IQAC
   ii. Head of Department*
   iii. Prof. B.S. Thakur, Head, SoS in Mathematics
   iv. Prof. A.K. Shrivastava, Dean, Management & Head, Institute of Management

   *If the Head is not from the relevant Subject area, in that case, he/she may be replaced by the Dean of the concerned Faculty or a Subject Expert nominated by the Honorable Vice-Chancellor.
10. सीधी भर्ती हेतु निर्धारित तिथी दिनांक 11.10.2023 तक प्राप्त कुल 375 आवेदन एवं दिनांक 11.10.2023 के पश्चात कुल 55 आवेदनों में निम्नांकित आवेदनों में डिमांड ड्राफ्ट संलग्न नहीं है, जिनके विवरण निम्नानुसार है :–

Serial No.	Name of Candidate	Receving No.
1.	Amin Kumar Kaushik, Sarguja (C.G.)	1
2.	Aasha Semra, Post -Kenda, Bilaspur (C.G.)	84
3.	Prabha Kaushik, Jora, Raipur (C.G.)	116
4.	Dr. Padmini Sinha, Ward 9, Kular para, Dhamdha, Durg (C.G.)	245
5.	Dr. Ranjana Vyas, IIIT-A, E-11, faculty House, Prayagraj	267
6.	P. Veena Swami, K-20, Rajdhani Vihar, Raipur (C.G.) 492012	345
7.	Dr. Chandini Markam, Vaishali Nagar, Durg (C.G.)	9

अतः संबंधित आवेदनों को भर्ती प्रकिया में शामिल किए जाने के संबंध में विचारार्थ /सक्षम निर्णयार्थ प्रस्तुत ।

तत्संबंध में बिंदु कमांक 1 से 10 तक के संदर्भ में माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

16. **शिक्षकों के स्व–मुल्यांकन प्रतिवेदन (PBAS) एवं कैरियर एडवांस योजना (CAS) आवेदन प्रारूप सक्षम अनुमोदन के संबंध मे विचार करना।**

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के स्व–मुल्यांकन प्रतिवेदन (PBAS) एवं कैरियर एडवांस योजना (CAS) के आवेदन यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के अनुरूप आई.क्यू.ए.सी. एवं वि.वि. द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति के द्वारा तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ है ।

उक्त शिक्षकों के स्व–मुल्यांकन प्रतिवेदन PBAS (Arts, Humanities and Social Science Streams) & PBAS (Science Streams) एवं कैरियर एडवांस योजना (CAS) आवेदन Assistant Professor (Academic level 10 to level 11), Assistant Professor (Academic level 11 to level 12), Assistant Professor to Associate Professor (Academic level 12 to level 13A) एवं Associate Professor to Professor (Academic level 13 A to level 14) माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

17. **डॉ. जी.के. देशमुख, सह प्राध्यापक प्रबंध संस्थान पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की अनुपस्थित अवधि के संदर्भ में अवकाश नियमों के आलोक में" प्रकरण में गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध मे विचार करना।**

<u>टीप</u> : कार्यपरिषद की 81वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 के पूरक विषय सूची कमांक 10 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं वि.वि. के आदेश कमांक 4163/सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 03.10.2023 के द्वारा "अवकाश नियमों के विपरीत आदेश तथा एक ही तथ्य के लिए तीन दण्ड से दण्डित करने विषयक अपील अभ्यावेदन – डॉ. जी.के. देशमुख, सहायक प्राध्यापक, प्रबंध अध्ययनशाला पं. रवि.वि. वि. रायपुर की अनुपस्थित अवधि के संदर्भ में अवकाश नियमों के आलोक में" प्रकरण के परीक्षण तथा संस्तुति के संबंध में प्रकरण पर तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

गठित समिति द्वारा प्रकरण का प्रतिवेदन सील बंद लिफाफा में **दिनांक 15.12.2023** को विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ है। गठित समिति द्वारा प्रकरण का प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

18. **डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के "निलंबन काल को कर्त्तव्य अवधि के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में" प्रकरण में गठित समिति से प्राप्त प्रतिवेदन के संबंध मे विचार करना।**

<u>टीप</u> : कार्यपरिषद की 81वीं बैठक दिनांक 22.09.2023 के पूरक विषय सूची कमांक 05 में लिए गए निर्णय अनुसार एवं वि.वि. के आदेश कमांक 4158/सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 03.10.2023 के द्वारा "डॉ. अलेख कुमार साहू, सहायक प्राध्यापक, विधि अध्ययनशाला, पं. रवि.वि. वि. रायपुर के निलंबन काल (दिनांक 17.05.2018 से 26.10.2021 तक) को कर्त्तव्य अवधि के रूप में स्वीकार किए जाने के संबंध में" प्रकरण के संबंध में प्रकरण पर दो सदस्यीय समिति का गठन किया गया ।

गठित समिति द्वारा प्रकरण का प्रतिवेदन सील बंद लिफाफा में **दिनांक 14.12.2023** को विश्वविद्यालय सामान्य प्रशासन विभाग को प्राप्त हुआ है ।

तत्संबंध में गठित समिति द्वारा प्रकरण का सील बंद लिफाफा में प्राप्त प्रतिवेदन माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

19. **विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ अग्रवाल को से.नि. तिथि के पश्चातवर्ती तिथि से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी आधार वि.वि. के माननीय कार्यपरिषद दिनांक 20.10.2012 एवं दिनांक 15.12.2015 के विषय क्रमांक 01 में लिए गये निर्णय अनुसार निश्चित मानदेय राशि रू 20800/– प्रतिमाह पर कार्य पर रखे जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : डॉ. एस. एस. अग्रवाल सेवानिवृत्त (जूलाई 2022) चिकित्सा अधिकारी, सेवानिवृत्ति तिथि से वि.वि. के स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहे है।

डॉ. अग्रवाल को विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र से सेवानिवृत्त होने के उपरान्त स्वास्थ्य सेवा निरंतरता तथा चिकित्सक कि विश्वविद्यालय परिसर में उपलब्धता हेतु एवं माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 12.10.2021 विषय कं. 15 एवं बैठक दिनांक 22.03.2023 के पूरक विषय कं. 03 में लिए निर्णय अनुसार छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन को पत्र क्रमांक 1800/स्था./सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 20.04.2023 एवं पत्र क्रमांक 4363/सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 16.10.2023 प्रेषित किया गया है।

छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 568/305/2023/38–2 अटल नगर, दिनांक 05.07.2023 द्वारा उक्त चिकित्सक को संविदा नियुक्ति के संबंध में सेट–अप में चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृति करने का औचित्य के संबंध में प्रश्न करते हुए असहमति संबंधित पत्र विश्वविद्यालय को प्राप्त हुआ है। माननीय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 04.08.2023 के पूरक विषय क्रमांक 20 में लिए गए निर्णय अनुसार छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन को विश्वविद्यालय में चिकित्सा अधिकारी के पद का औचित्य दर्शाते हुए पत्र क्रमांक 4363/सा.प्रशा./2023 रायपुर दिनांक 16.10.2023 प्रेषित किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय स्वास्थ्य केन्द्र में डॉ अग्रवाल को से.नि. तिथि के पश्चातवर्ती तिथि से वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में अस्थायी आधार वि.वि. के माननीय कार्यपरिषद दिनांक 20.10.2012 एवं दिनांक 15.12.2015 के विषय क्रमांक 01 में लिए गये निर्णय अनुसार निश्चित मानदेय राशि रू 20800/– प्रतिमाह पर कार्य पर रखे जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>कुल–अनुशासक कार्यालय से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

20. **भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल 2023, नई दिल्ली के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किये गये पत्र क्रमांक D.O.No.F.I.13/2022(CPP-II) dated 5th December 2023/14 अग्रहायण, 1945 अनुसार विश्वविद्यालय में एक लोकपाल (Ombudsperson(s)) नियुक्त हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त Regulation 2023 को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 11 अप्रैल 2023, नई दिल्ली के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा जारी किये गये पत्र क्रमांक D.O.No.F.I.13/2022(CPP-II) dated 5th December 2023/14 अग्रहायण, 1945 अनुसार विश्वविद्यालय में एक लोकपाल (Ombudsperson(s)) नियुक्त किया जाना है।

अतः लोकपाल नियुक्त के संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उक्त Regulation 2023 को विश्वविद्यालय द्वारा अंगीकृत किये जाने संबंध में अवलोकनार्थ एवं नस्ती माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

गोपनीय विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

21. **वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (Supplementry and Ph.D. Entrance Exam-2023) के अनुबंधित फर्म के गोपनीय मुद्रण कार्य पश्चात् प्रस्तुत देयक राशि रु. 36,57,857.00 (रुपए छत्तीस लाख संतावन हजार आठ सौ संतावन मात्र) के भुगतान की स्वीकृति के संबंध में विचार करना।**

टीप : वर्ष 2023 की विभिन्न परीक्षा (Supplementry and Ph.D. Entrance Exam-2023) के गोपनीय मुद्रण कार्य हेतु अधिकृत फर्म, जिसको कार्यपरिषद् की सतहत्तरवीं बैठक दिनांक 31.05.2023 (पूरक विषय सूची क्रमांक–06) में अनुमोदन के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया। संबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन किया गया। अनुबंधित फर्म द्वारा कार्य संपादन उपरांत राशि रु. 36,57,857.00 (रुपए छत्तीस लाख संतावन हजार आठ सौ संतावन मात्र) का देयक प्रस्तुत किया गया है। संबंधित फर्म द्वारा प्रस्तुत देय राशि रूपए रु. 36,57,857. 00 (रुपए छत्तीस लाख संतावन हजार आठ सौ संतावन मात्र) के भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

इलेक्ट्रानिक्स एवं फोटोनिक्स अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव :–

22. **पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सेक्शन 8 कंपनी स्थापित करने एवं नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काऊँसिल और सेक्शन 8, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्य एम.ओ.यू. (MoU) समझौता ज्ञापन किए जाने के संबंध में विचार करना।**

टीप : (अ) पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सेक्शन 8 कंपनी स्थापित करना प्रस्तावित है कंपनी का उद्देश्य नवाचार और उद्भवन स्टार्ट–अप अनुदान, सी.एस.आर. फंडिग जुटाना, पूर्व छात्रों से वित्तीय सहायता आदि प्रमुख होंगे। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् पीयर समूह (NAAC Peer Team) के विजिट के दौरान समूह के सदस्यों के द्वारा भी नवाचार जैसे गतिविधियों को बढ़ावा देने की सिफारिश की गई थी।

संस्थान में नवाचार को बढ़ावा देने वाले परितंत्र उद्यमिताअ और स्टार्ट–अप संवर्धन (पूर्व उद्भवन और उद्भवन) पर सक्रिय समर्थन और इसे विकसित करने, फंड जुटाने, डोमेन की प्राप्ति, शासकीय NGO's निजी व्यापार क्षेत्र, उद्योग/दानकर्ता के बहुआयामी मोड के माध्यम से नव प्रवर्तन/नवाचार को बढ़ावा देना एवं अन्य संबंधित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सेक्शन–8 कम्पनी की स्थापना की आवश्यकता है।

(ब) नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काऊँसिल पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर और सेक्शन–8 कम्पनी पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के मध्यम एम.ओ.यू. (MoU) समझौता ज्ञापन किए जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

अकादमिक विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

23. **विधि अध्ययनशाला के अंतर्गत एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में वर्तमान में निर्धारित 45 सीट की संख्या में वृद्धि कर 55 सीटें (10 पेमेंट कोटा) शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए जारी अधिसूचना क्रमांक 805/अका./प्रवेश अधिसूचना/2023 रायपुर, दिनांक 27.09.2023 की सूचना ग्रहण करना।** **(पृष्ठ क्र. 09)**

टीप : शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु विशेष परिस्थिति में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विधि अध्ययनशाला के अंतर्गत एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में वर्तमान में निर्धारित 45 सीट की संख्या में वृद्धि कर 55 सीटें (10 पेमेंट कोटा) शैक्षणिक सत्र 2023–24 के लिए कार्यपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी अधिसूचना क्रमांक 805/अका./प्रवेश अधिसूचना/2023 रायपुर, दिनांक 27.09.2023 की प्रति माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु सूचनार्थ प्रस्तुत है।

24. **दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी–जामगाँव, जिला–धमतरी में परिनियम 28 के तहत प्राचार्य, डॉ. किरण श्रीवास्तव के कार्यकाल में वृद्धि करने हेतु चयन समिति द्वारा साक्षात्कार दिनांक 03.08.2023 के वृद्धि पश्चात् दिनांक 19.10.2023 से त्याग पत्र के अनुमोदन पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी–जामगाँव, जिला–धमतरी में परिनियम 28 के तहत पूर्व में नियुक्त प्राचार्य, डॉ. किरण श्रीवास्तव के कार्यकाल में वृद्धि कर, पाँच वर्ष हेतु पुनः एक अवसर दिए जाने हेतु गठित चयन समिति द्वारा दिनांक 03.08.2023 को आयोजित साक्षात्कार में अनुशंसा की गई है। उसके पश्चात् दिनांक 19.10.2023 से महाविद्यालय के प्राचार्य पद से त्याग पत्र प्रस्तुत किया गया है। डॉ. किरण श्रीवास्तव का त्याग पत्र माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव</u> :–

25. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सफाई व्यवस्था के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : (1) विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र. 694/विकास/निसू./2023 रायपुर, दिनांक 04/10/2023 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था :–

1. MDS Facilities, Shop No.78/80, 2nd Floor, Gulshan Tower, Jaistambh Chowk, Amravati
2. Kamthean Security Service, Pal Building Room 06, Gandhi Chouk, Devpuri, Raipur (C.G.)
3. New Bharat Security & Detective Services, Shop-140, Wing-3, Rajat Sankul, Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur
4. Cleantech Services & Workforce, C-50, Sector-1, Shankar Nagar, Raipur (C.G.)
5. Atithi Hospitality & Event Associates, Plot No.317, SBI in Touch Bank, Dharmpeth, Nagpur
6. Ultra Clean & Care Services, Raipur (C.G.)
7. M/s Jyoti Traders, Sarkanda, Bilaspur (C.G.)
8. Secured Security Solutions Pvt. Ltd., 3rd Floor, Ravi Bhawan, Jaistambh Chowk, Raipur (C.G.)

(2) विभागीय क्रय समिति द्वारा टेक्नीकल बीड का परीक्षण निविदाकर्ता की उपस्थिति में किया गया था। विभागीय क्रय समिति द्वारा सभी फर्मों को योग्य पाया गया है।

(3) टेक्निकल बीड में योग्य पाये गये फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर सूची को निविदाकर्ता की उपस्थिति में विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला गया। फर्म MDS Facilities, Shop No.78/80, 2nd Floor, Gulshan Tower, Jaistambh Chowk, Amravati एवं Atithi Hospitality & Event Associates, Plot No.317, SBI in Touch Bank, Dharmpeth, Nagpur के द्वारा प्रस्तुत दर श्रम विभाग, छ.ग. शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम वेतन दर प्रस्तुत किया गया है, जो मान्य योग्य नही है।

दर तुलनात्मक तालिका के अनुसार 04 फर्मो (1) Kamthean Security Service, Raipur (2) New Bharat Security & Detective Service, Nagpur (3) Jyoti Traders, Bilaspur (4) Secured Security Solutions Pvt. Ltd., Raipur द्वारा प्रस्तुत सफाई एजेंसी का सेवा शुल्क न्यूनतम एवं रू.0.01 दर एक समान है।

(4) विशविविद्यालय द्वारा जारी निविदा की शर्ते/जानकारी (प्रपत्र तीन) की कंडिका क्र. 29 के अनुसार "यदि दो या दो से अधिक सफाई एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत दर समान होने एवं अन्य शुल्क समान होने पर इस विश्वविद्यालय में सफाई कार्य करने के अनुभव वाली सफाई एजेन्सी को विश्वविद्यालय प्रशासन प्राथमिकता दे सकता है। उपरोक्त सभी समान होने पर महिला समूह को प्राथमिकता दिया जावेगा।" उल्लेखित है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में New Bharat Security & Detective Service, Nagpur के द्वारा सफाई व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। संबंधित फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण–पत्र निविदा में प्रस्तुत किया

गया है, जिसके अनुसार इनके द्वारा किये गये कार्य से विश्वविद्यालय प्रशासन संतुष्ट है।

अतः New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सफाई कार्य लिये जाने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है। अतः विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सफाई व्यवस्था का कार्य New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से 01 वर्ष के लिए दिनांक 01/01/2024 से 31/12/2024 तक लिये जाने हेतु स्वीकृति हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

26. **विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा अ.शा. के लिये खेल सामग्री, ब्लेजर एवं ट्रेकसूट सामग्री क्रय करने के लिये Rate Contract हेतु निविदा के संबंध में विचार करना।**

टीप : विश्वविद्यालय के शारीरिक शिक्षा विभाग एवं शारीरिक शिक्षा अ.शा. के लिये खेल सामग्री, ब्लेजर एवं ट्रेकसूट सामग्री क्रय करने के लिये Rate Contract हेतु निविदा सूचना क्र0 655/विकास/निसू./2023 रायपुर, दिनाँक 12/09/2023 छ.ग. संवाद के माध्यम से समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित 04 फर्मों के द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था, फर्मो का नाम निम्नानुसार है :-

1. मो. आमीर खान, मैक काम्प्लेक्स, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
2. New-Way Tailors & Fabrics, 7, Ashirwad Tower, Beside Raj Talkies, G.E. Road, Raipur (C.G.)
3. गोल्डन मुमेन्ट, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.)
4. शम्स स्पोर्टस एण्ड स्टेशनर्स, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.)

फर्मों द्वारा प्रस्तुत निविदा के तकनीकी बीड को निविदाकर्ता की उपस्थिति में विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला गया। तकनीकी बीड में सभी फर्मों को योग्य पाया गया। तकनीकी बीड में योग्य पाये गये फर्मों का फायनेंसियल बीड को खोला गया। फायनेंसियल बीड में 03 व 04 फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर का तुलनात्मक तालिका तैयार किया गया। न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले फर्म व सामग्रियों का विवरण निम्नानुसार है :-

फर्म **मो. आमीर खान, रायपुर** द्वारा निम्नलिखित सामग्री का प्रस्तुत दर न्यूनतम है :-

1. Hockey Stick, 2. Cricket Ball, 3. Volley Ball Pole (Adjustable)

ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री

1. टी-शर्ट, 2. हॉफ पैन्ट सेट 3. क्रिकेट ड्रेस एवं जूता

फर्म **गोल्डन मुमेन्ट, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.)** द्वारा निम्नलिखित सामग्री का प्रस्तुत दर न्यूनतम है :-

1. Volleyball Ball, 2. Volleyball Net, 3. Basket Ball, 4. Basketball Net, 5. Football Net, 6. Shin Guard, 7. W.K. Gloves 8. Batting Gloves, 9. Stop Watch, 10. Soft-Tennis Net

ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री

1. जूता, 2. स्वीमिंग कॉस्ट्यूम, 3. बॉक्सिंग कॉस्ट्यूम, 4. बिप्स (बास्केटबॉल, नेटबॉल)

फर्म New-Way Tailors & Fabrics, 7, Ashirwad Tower, Beside Raj Talkies, G.E. Road, Raipur द्वारा निम्नलिखित सामग्री का प्रस्तुत दर न्यूनतम है :-

ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री - ट्रेकसूट वि.वि. के मोनो सहित

फर्म **शम्स स्पोर्टस एण्ड स्टेशनर्स, सदर बाजार, रायपुर (छ.ग.)** द्वारा निम्नलिखित सामग्री का प्रस्तुत दर न्यूनतम है :-

1. Hockey Ball, 2. Football Ball, 3. Hand Gloves, 4. Badminton Racket, 5. Abdominal Guard, 6. Cricket Score Book, 7. Cricket Helmet, 8. Goal Keeping Jersey Full Sleeves

ब्लेजर, ट्रेकसूट एवं अन्य सामग्री

1. सॉक्स (मोजा), 2. एंकलेट

टीप :- जिन सामग्रियों के लिए 03 फर्मो द्वारा दर प्रस्तुत नही किया गया है, उन सामग्रियों के लिए भविष्य में द्वितीय निविदा सूचना जारी किया जायेगा।

अतः न्यूनतम दर के आधार पर उक्त फर्मों से विश्वविद्यालय के आवश्यकता अनुसार खेल सामग्री, ट्रेकसूट इत्यादि सामग्री क्रय करने के लिए Rate Contract करने हेतु प्रस्ताव माननीय कार्य परिषद् के समक्ष स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है।

27. **विश्वविद्यालय में कैन्टीन संचालन के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : विश्वविद्यालय द्वारा Expression of Interest (EOI) for Providing Canteen Services in Pt. Ravishankar Shukla University Campus, Raipur हेतु सूचना क्र.678/Dev/2023 Raipur, Date 26/09/2023 समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया गया :-

1. Shri Sai Services, Shanti Nagar, Balco Nagar, Korba (C.G.)
2. Hotel The Golden Oak, M.G.Road, Raipur
3. Shree Sai Services, Raipur (C.G.)

उपरोक्त फर्मों से प्राप्त सीलबंद लिफाफा को विभागीय क्रय समिति एवं संबंधित फर्मों की उपस्थिति में खोला गया। विभागीय क्रय समिति द्वारा तकनीकी बीड का परीक्षण किया गया। तकनीकी बीड में सभी फर्मों को योग्य पाया गया।

तकनीकी बीड में योग्य पाये गये फर्मों से कैन्टीन संचालन हेतु रख-रखाव शुल्क का दर मंगाया गया था, जिसे विभागीय क्रय समिति के समक्ष दिनांक 15/12/2023 को खोला गया। **Hotel The Golden Oak, M.G.Road, Raipur (C.G.)** के द्वारा अन्य फर्मो के द्वारा प्रस्तुत दर से अधिकतम रख-रखाव शुल्क रू. 25,000=00 (रुपये पच्चीस हजार मात्र) प्रति माह प्रस्तुत किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय के द्वारा जारी निविदा में निहित शर्तो के अनुरूप उक्त फर्म को कैन्टीन संचालन हेतु दिये जाने के लिए स्वीकृति हेतु कार्य परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला से प्राप्त प्रस्ताव</u> :-

28. **साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला के अंतर्गत एम.ए. हिन्दी एवं एम.ए. छत्तीसगढ़ी में 10-10 सीट (पेमेंट सीट) वृद्धि किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला में संचालित एम.ए. हिन्दी एवं एम.ए. छत्तीसगढ़ी में 10-10 सीट (पेमेंट सीट) वृद्धि किए जाने हेतु स्टॉफ कौंसिल की बैठक दिनांक 08.09.2023 में अनुशंसा की गई है। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

<u>सेंटर फार बेसिक साइंस (CBS) से प्राप्त प्रस्ताव</u> :-

29. **मूल विज्ञान केंद्र के छठवे सेमेस्टर के 22 छात्र-छात्राओं को माह जनवरी 2023 से जून 2023 हेतु कुल राशि रुपए 5,70,593/- (पाँच लाख सत्तर हजार पाँच सौ तिरानबे मात्र) छात्रवृत्ति भुगतान किए जाने के संबंध में विचार करना।**

<u>टीप</u> : मूल विज्ञान केंद्र में दिनांक 14.08.2015 को कार्यपरिषद् की बैठक में लिए निर्णय क्र. 04 के अनुसार मूल विज्ञान केंद्र में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह रु. 5000/- छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। जिसके परिप्रेक्ष्य में मूल विज्ञान केद्र के छठवें सेमेस्टर के 22 छात्र-छात्राओं को माह जनवरी 2023 से जून 2023 हेतु कुल राशि रु. 5,70,593/- (पाँच लाख सत्तर हजार पाँच सौ तिरानबे मात्र) छात्रवृत्ति भुगतान किया जाने हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

<u>NCNR से प्राप्त प्रस्ताव</u> :-

30. **एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए Instrument का Annual Maintenance को Dealer से प्राप्त निविदा के आधार पर राशि रुपए 15,17,690.00 (रुपए पंद्रह लाख सत्रह हजार छः सौ नब्बे मात्र) के भुगतान की स्वीकृति पर विचार करना।**

<u>टीप</u> : एन.सी.एन.आर. विभाग में क्रय किए Instrument का Annual Maintenance को Dealer से प्राप्त निविदा के आधार पर राशि रुपए 15,17,690.00 (रुपए पंद्रह लाख सत्रह हजार छः सौ नब्बे मात्र) के भुगतान हेतु माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट से प्राप्त प्रस्ताव :–

31. **माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट की बैठक दिनांक 04.12.2023 में किए गए संस्तुति विचारार्थ प्रस्तुत।**

टीप : चाहरदीवारी निर्माण के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। इस हेतु कुल 14200 वर्ग मीटर (कुल 152848 वर्ग फीट) भूखण्ड का चिन्हांकन किया गया है। चूँकि यह भूमि पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के भूस्वामित्व की भूमि है, अतः सर्वसम्मति से संस्तुति किया गया कि मंदिर ट्रस्ट द्वारा विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुरोध किया जाए कि धार्मिक प्रयोजन के लिए उक्त चिन्हांकित भूखण्ड के उपयोग की अनुमति प्रदान किया जाए। उक्त भूखण्ड पर भूस्वामित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का ही होगा तथा मंदिर ट्रस्ट इस हेतु कभी भी कोई आपत्ति/दावा नहीं करेगा।

चिन्हांकित भूमि का नक्शा ट्रस्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, ट्रस्ट द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया। ट्रस्ट द्वारा अनुमोदित नक्शा विश्वविद्यालय कार्यपरिषद के समक्ष अवलोकनार्थ रखे जाने का निर्णय लिया गया।

मंदिर ट्रस्ट की बैठक में यह भी संस्तुति किया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा, मंदिर पहुँच मार्ग जो कि शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला की बाउन्ड्री के बाद तिरछा बना हुआ है। इसकेस्थान पर सीधी सड़क तथा सड़क के बायीं ओर पार्किंग की व्यवस्था विश्वविद्यालय फण्ड से किए जाने हेतु अनुरोध किया जाए।

सड़क के दायीं ओर चहारदीवारी का निर्माण मंदिर ट्रस्ट द्वारा मंदिर को प्राप्त होने वाली दान राशि और जन सहयोग से किए जाने का संस्तुति किया गया। माननीय कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

विकास विभाग से प्राप्त प्रस्ताव :–

32. **विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में विचार करना।**

टीप : (1) विश्वविद्यालय परिसर व भवनो के सुरक्षा व्यवस्था हेतु निविदा सूचना क्र 692/विकास/निसू./2023 रायपुर, दिनांक 04/10/2023 समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था।

निर्धारित तिथि तक निम्नलिखित फर्मों द्वारा सीलबंद लिफाफा में निविदा प्रस्तुत किया गया था :–

1. Kamthean Security Service, Pal Building Room 06, Gandhi Chouk, Devpuri Raipur (C.G.)
2. New Bharat Security & Detective Services, Thana Road, Mohba Bazar, Tatibandh, Raipur (C.G.)
3. एक्समैन सिक्योरिटी सर्विस, ए–30, बालाजी पुरम कालोनी, वसंत विहार, राज किशोर नगर बिलासपुर (छ.ग.)
4. मेसर्स कॉलमी सर्विसेस, सी–101/5, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
5. मेसर्स बालाजी सिक्युरिटी सर्विस, LIG-126, सेक्टर–04, पानी टंकी के पास, दीनदयाल, उपाध्याय नगर, रायपुर (छ.ग.)
6. Secured Security Solutions Pvt. Ltd., 3rd Floor, Ravi Bhawan, Jaistambh Chowk, Raipur (C.G.)
7. बजरंग सिक्यूरिटी सर्विसेस, सड्डू, रायपुर (छ.ग.)

(2) विभागीय क्रय समिति द्वारा टेक्नीकल बीड का परीक्षण निविदाकर्ता की उपस्थिति में किया गया था।

विभागीय क्रय समिति द्वारा निम्नलिखित फर्मों को योग्य पाया गया है :–

1. Kamthean Security Service, Pal Building Room 06, Gandhi Chouk, Devpuri, Raipur (C.G.)
2. New Bharat Security & Detective Services, Thana Road, Mohba Bazar, Tatibandh, Raipur (C.G.)

3. एक्समैन सिक्योरिटी सर्विस, ए–30, बालाजी पुरम कालोनी, वसंत विहार, राज किशोर नगर, बिलासपुर (छ.ग.)
4. मेसर्स कॉलमी सर्विसेस, सी–101/5, टैगोर नगर, रायपुर (छ.ग.)
5. Secured Security Solutions Pvt. Ltd., 3rd Floor, Ravi Bhawan, Jaistambh Chowk, Raipur (C.G.)

(3) टेक्निकल बीड में योग्य पाये गये फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर सूची को निविदाकर्ता की उपस्थिति में विभागीय क्रय समिति के समक्ष खोला गया। दर तुलनात्मक तालिका के अनुसार 04 फर्मो 1. New Bharat Security & Detective Service, Raipur 2. एक्समैन सिक्योरिटी सर्विस, बिलासपुर 3. मेसर्स कॉलमी सर्विसेस, रायपुर 4. Secured Security Solutions Pvt. Ltd., Raipur द्वारा प्रस्तुत सुरक्षा एजेन्सी का सेवा शुल्क न्यूनतम एवं दर रु. 0.01 एक समान है।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा की विशेष शर्तों की कंडिका क्र. 23 के अनुसार "यदि दो या दो से अधिक सुरक्षा एजेन्सीयों द्वारा समान दर एवं अन्य शुल्क समान होने पर इस विश्वविद्यालय में सुरक्षा कार्य करने के अनुभव वाली सुरक्षा एजेन्सी को विश्वविद्यालय प्रशासन प्राथमिकता दे सकता है। उपरोक्त सभी समान होने पर महिला समूह को प्राथमिकता दिया जावेगा।" उल्लेखित है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय में New Bharat Security & Detective Service, Nagpur के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। संबंधित फर्म के द्वारा विश्वविद्यालय में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा में प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार इनके द्वारा किये गये कार्य से विश्वविद्यालय प्रशासन संतुष्ट है।

अतः New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा कार्य लिये जाने हेतु विभागीय क्रय समिति एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है। अतः विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था का कार्य New Bharat Security & Detective Service, Nagpur से 01 वर्ष के लिए दिनांक 01/01/2024 से 31/12/2024 तक लिये जाने हेतु स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

33. **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।**

20/12/23

कुलसचिव

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

(1)

क्रमांक : 2060/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023 रायपुर, दिनांक 19/12/2023

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक मंगलवार, दिनांक 19.12.2023 को मध्याह्न 12:00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के सभा–कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए –

1. प्रो. सच्चिदानंद शुक्ल, कुलपति	–	अध्यक्ष
2. डॉ. शैल शर्मा	–	सदस्य
3. डॉ. आर.के. ब्रह्मे	–	सदस्य
4. डॉ. व्यास दुबे	–	सदस्य
5. डॉ. तपेश चंद्र गुप्ता	–	सदस्य
6. डॉ. राजीव चौधरी	–	सदस्य
7. डॉ. संजय जे. डहरवाल	–	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) अदिति पोद्दार	–	सदस्य
9. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	–	सदस्य
10. डॉ. संजय कुमार	–	सदस्य
11. डॉ. शैलेंद्र कुमार पटेल, कुलसचिव	–	सचिव

कार्यवृत्त

01. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.09.2023 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णयः विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.09.2023 के बिंदु क्रमांक 15 को निम्नानुसार संशोधित करते हुए शेष निर्णय की सम्पुष्टि की गई –

संशोधित निर्णय 15 "अध्यादेश 46 (Doctror of Letters/Science/Laws) के बिंदु क्रमांक 01 के अनुसार डी.लिट उपाधि हेतु उम्मीदवार को पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा 10 शोध पत्र किसी स्तरीय (मानक) शोध पत्रिका में प्रकाशित किए जाने के उपरांत डी.लिट. उपाधि हेतु आवेदन की पात्रता है। इस प्रावधान को ध्यान में रखने हेतु डी.लिट. उपाधि प्राप्त करने के 05 वर्ष बाद तथा विषय से संबंधित 10 नए शोध पत्र स्तरीय (मानक) शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के उपरांत Allied विषयों पर ही आगामी शोध उपाधि हेतु आवेदन पर विचार किए जाने का निर्णय लिया गया।"

02. विद्या–परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 21.09.2023 के पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णयः सूचना ग्रहण की गई।

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालय को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र–संख्या एवं सत्रानुसार **अस्थायी** संबद्धता दिए जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
i.	शासकीय गजानंद अग्रवाल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटापारा, जिला–बलौदाबाजार– भाटापारा	B.A.-III- English Literature	50	2023–24

निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
ii.	शहीद नंद कुमार पटेल शासकीय महाविद्यालय, बीरगाँव, जिला–रायपुर	M.A. -I/II Sem.- Sociology	40	2023–24

निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
iii	श्रीमती प्रमिला गोकुलदास डागा कन्या महावि. कचहरी चौक, रायपुर	B.Sc.-II year-Electronics	50	2004–05
		B.Sc.-III year-Electronics	50	2005–06
		B.C.A.-II	30	2009–10
		B.C.A.-III	30	2010–11

निर्णयः उपरोक्त सत्रानुसार अस्थायी संबद्धता प्रदान करने हेतु निम्नानुसार संकायाध्यक्षों की समिति का गठन किया गया–

(1) डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, संकायाध्यक्ष, प्रबंध संकाय

(2) डॉ. आर.के. ब्रह्मे, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

(3) डॉ. एस.जे. डहरवाल, संकायाध्यक्ष, टेक्नालॉजी संकाय

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
iv	दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय, जी–जामगांव, जिला–धमतरी	एम.ए. (राजनीतिशास्त्र), (समाजशास्त्र) (भूगोल) (अर्थशास्त्र), (अंग्रेजी साहित्य) नवीन विषय	30	2023–24
		बी.ए. (सीट वृद्धि)	80	
		पी.जी.डी.सी.ए. (सीट वृद्धि)	50	

निर्णयः सत्र 2023–24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सतांत्र तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
v	शांति निकेतन महाविद्यालय, चंगोराभाठा, रायपुरा, रायपुर	बी.सी.ए. तृतीय वर्ष	30	2023–24

निर्णयः भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
vi	शास. काव्योपाध्याय हीरालाल महा. अभनपुर, जिला–रायपुर	M.A.-I/II Sem. Geography	40	2023–24
		M.A.-I/II Sem. Sociology	40	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
vii.	डॉ. राधाबाई शास. नवीन कन्या महावि. रायपुर	M.Sc.-III/IV Sem. Zoology	25	2023–24
		M.Sc.-III/IV Sem. Physics	25	
		M.Com..-III/IV Sem. (Self Finance)	40	2022–23
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
viii.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कोमाखान, जिला–महासमुंद	B.Sc.-I- Maths Group - (F.C.- Hindi, English), Chemistry, Maths, Physics	30	2023–24
		B.Sc.-I- Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60	
		B.A.-I- (F.C.- Hindi, English), Political Science, Economics, History	90	
		B.Com.-I All Compulsory Subject	90	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
ix.	नवीन शासकीय महाविद्यालय, भंवरपुर, जिला–महासमुंद	B.A.-I- (F.C.- Hindi, English), Political Science, Sociology, Geography	90	2023–24
		B.Sc.-I- Bio Group - (F.C.- Hindi, English), Botany, Zoology, Chemistry	60	
		B.Sc.-I- Mashts Group - (F.C.- Hindi, English), Physics, Chemistry, Maths,	30	
		B.Com.-I All Compulsory Subject	90	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
x.	संत गुरु घासीदास शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कुरूद, जिला–धमतरी	M.Sc.-I/II Sem.- Microbiology	30	2023–24
		M.Sc.-I/II Sem.- Computer Science	30	
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
xi.	पियाली फाउंडेशन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन, 1/10, राजीव नगर, पो.आ.–शंकर नगर, रायपुर (Piyali Foundation College of Special Education" 1/10, Rajeev Nagar PO.Shankar Nagar, Raipur)	B.Ed. Special Education (Intellectual Disabilities) B.Ed. Spl.Ed.(I.D.) Duration Two Years	30	2023–24, 2024–25, 2025–26
	निर्णयः भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
xii.	शासकीय राजीवलोचन स्नातकोत्तर महा. राजिम, जिला–गरियाबंद	M.S.W.- III/IV Sem. (Under Self Finance)	30	2023–24
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
xiii	शासकीय नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी (छ.ग.)	M.Sc.-I/II Sem.-Chemistry	30	2023–24
	निर्णयः निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित कमियों की पूर्ति सत्रांत तक पूर्ण करने के शर्त पर अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
xiv.	रामचण्डी महाविद्यालय, सरायपाली, जिला–महासमुंद (छ.ग.)	B.Sc.-Computer Science (Maths, Physics, Computer Science)	30	2022–23
	निर्णयः सत्र 2023–24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सतांत्र तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।			

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र
xv.	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडिज, पुराना धमतरी रोड, सेजबहार, रायपुर	B.Sc.-II- Maths (Physics, Chemistry, Maths)	30	2023–24
		B.Sc.-III Bio Group (Botany, Zoology, Chemistry)	40	
	निर्णयः सत्र 2023–24 के लिए अस्थायी संबद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की गई एवं निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति सतांत्र तक पूर्ण करने की अनुशंसा की गई। शर्तें पूर्ण न करने की स्थिति में संबद्धता पर पुनर्विचार हेतु शासन को पत्र प्रेषित किया जाए।			

4. डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला–महासमुंद में संचालित बी.ए. एवं बी.एस–सी. (विज्ञान समूह) में सीट वृद्धि के संबंध में विचार करना।

निर्णयः डॉ. भीमराव अम्बेडकर शासकीय महाविद्यालय, बलौदा, जिला–महासमुंद में संचालित पाठ्यक्रम बी.ए. एवं बी.एस–सी. (विज्ञान समूह) में छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला–रायपुर का पत्र क्र. 197/05/आउशि/याजना/2023 नवा रायपुर, दिनांक 18.07.2023 के द्वारा सीट वृद्धि आदेश का निम्नानुसार अनुशंसा प्रदान किया गया हैः–

क्र.	कक्षा का नाम	संचालन का प्रकार	निर्धारित सीट संख्या	सीट वृद्धि	कुल सीट संख्या
1.	बी.ए.	शासन से	60	20	80
2.	बी.एस–सी. (विज्ञान समूह)	शासन से	60	20	80

5. अध्यादेश क्रमांक 45 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पी–एच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानदंड और प्रक्रिया विनियम) 2022 के अनुक्रम में संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 पर विचार करना।

निर्णयः **संशोधित अध्यादेश क्रमांक 45 के बिंदु क्रमांक 3 में निम्नांकित प्रावधान "Provided further that, other than the Provisions of Clause 3, Kulapati may further extend the period of submission on the basis of genuineness/merit of the case." को जोड़ते हुए अनुशंसा की गई।**

6. विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.कॉम. एवं एम. कॉम. की स्थायी सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे द्वारा प्रस्तुत अभिमत के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **विवेकानंद महाविद्यालय, मौदहापारा, रायपुर बी.बी.ए., बी.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.कॉम. एवं एम.कॉम. की स्थायी सम्बद्धता की अनुशंसा की गई।**

7. महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर बी.एस.सी. (सी.एस.)–40 सीट, बी.एस.सी. (आई. टी.) 40 सीट, एम.एस.सी. (आई.टी.) 30 सीट, एम.ए. हिन्दी 30 सीट, एम.ए. (राजनीति विज्ञान) 30 सीट नवीन विषय की सम्बद्धता हेतु विश्वविद्यालय उच्च न्यायालय पैनल अधिवक्ता श्री नीरज चौबे द्वारा प्रस्तुत अभिमत के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **महंत लक्ष्मीनारायण दास महाविद्यालय, रायपुर बी.एस.सी. (सी.एस.)–40 सीट, बी.एस.सी. (आई.टी.) 40 सीट, एम.एस.सी. (आई.टी.) 30 सीट, एम.ए. हिन्दी 30 सीट, एम.ए. (राजनीति विज्ञान) 30 सीट नवीन विषय की सम्बद्धता की अनुशंसा की गई।**

8. श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, धनेली, रायपुर के स्थान परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) का Shifting Order पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1333/B.P.ED./392nd /Chhattisgarh/2023/220411 दिनांक 28.08.2023 के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) ने अपने पत्र क्रमांक F.No. WRC/WRCAPP - 1333/B.P.ED./392nd /Chhattisgarh/2023/220411 दिनांक 28.08.2023 के द्वारा Shifting Order में SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION PLOT NO. 629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668 VILL-POST-PACHEDA, TEHSIL-ABHANPUR, DIST.-RAIPUR-493663 CHHATTISGARH का स्थान परिवर्तन पश्चात नवीन पता निम्नानुसार किए जाने की अनुशंसा की गई –**

महाविद्यालय का पुराना पता	महाविद्यालय का परिवर्तन पश्चात् नवीन पता
SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION PLOT NO. 629, 1156, 1667, 1562, 1561, 1668 VILL-POST-PACHEDA, TEHSIL-ABHANPUR, DIST.-RAIPUR-493663 CHHATTISGARH	SHRI RAWATPURA SARKAR INSTITUTE OF PHYSICAL EDUCATION KHASRA NO. 125/3, 125/4, 125/7, 125/8, 125/11, 126 and 127 1668 VILL/POST-MANA, NEAR SHADANI DARBAR, NEW DHAMTARI ROAD, RAIPUR, CHHATTISGARH

9. Certificate Courses in Econometrics & Mathematical Economics का Draft Ordinance के अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **Certificate Courses in Econometrics & Mathematical Economics का Ordinance No. 202 की अनुशंसा की गई।**

10. Bachelor of Physical Education (Four Year Degree Course) के उपाधि प्रोफार्मा के संशोधन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः **Bachelor of Physical Education (Four Year Degree Course) के उपाधि प्रोफार्मा के संशोधन में बी.पी.ई. (B.P.E.) समाहित करते हुए अनुशंसा की गई।**

(6)

11. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.09.2023 के विषय क्रमांक 16 में तथा कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.09.2023 के पूरक विषय क्रमांक 1 में एम.ए., एम.कॉम., एम.एस–सी., एम.सी.ए., एलएल.एम., एम.पी.एड्. एवं एम.लिब. परीक्षाओं के सेमेस्टर सिस्टम के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के Question Paper Pattern में परिवर्तन संबंधी अनुमोदन के अनुक्रम में एम.एड्., एम.बी.ए. एवं एम.टेक. पाठ्यक्रम के प्रश्न पत्र को भी विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 862/अका./2023 रायपुर दिनांक 04.10.2023 के अनुसार परिवर्तन के प्रस्ताव अनुमोदन के संबंध में विचार करना।

निर्णयः अनुशंसा की गई।

12. सत्र 2023–24 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक संबद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण विद्यापरिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्रमांक	शासकीय महाविद्यालय
1	बद्रीप्रसाद लोधी स्नातकोत्तर शासकीय महाविद्यालय, आरंग जिला– रायपुर
2	शास. जे. योगानंदम छत्तीसगढ़ महाविद्यालय, रायपुर
3	शासकीय नवीन महाविद्यालय, वटगन जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा
4	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला– बलौदाबाजार
5	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार
6	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला–बलौदाबाजार
7	बाबू पंढरी राव कृदत्त शासकीय महाविद्यालय, सिलौटी जिला– धमतरी
8	शास. सुखराम नागे, महाविद्यालय, सिहावा (नगरी) जिला–धमतरी
9	चंद्रपाल डडसेना शास. महा. पिथौरा, जिला–महासमुंद
10	शासकीय महाविद्यालय, लवन (बलौदाबाजार), जिला– बलौदाबाजार
11	शास. शहीद वीर नारायण सिंह महाविद्यालय, बिलाईगढ़, जिला– बलौदाबाजार (सत्र 2022–23 एवं 2023–24)
12	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद
13	शास. नारायण राव मेघावले कन्या महाविद्यालय, धमतरी
14	श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय, गोबरा नवापारा, जिला–रायपुर
15	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, महासमुंद जिला–महासमुंद
16	फणिकेश्वर नाथ शासकीय महाविद्यालय, फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद
17	स्व. रामप्रसाद देवांगन शासकीय महाविद्यालय, खरोरा, जिला–रायपुर
18	शास. कचना धुरवा महाविद्यालय, छुरा, जिला–गरियाबंद
19	नवीन शासकीय महाविद्यालय, कंडेल जिला–धमतरी
20	शास. वीर सुरेन्द्र साय कॉलेज, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद
21	संत गुरू घासीदास शास. स्नातकोत्तर महा. कुरूद, जिला–धमतरी
क्रमांक	**अशासकीय महाविद्यालय**
1	दुलीचंद जालान कॉलेज ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, तिलईपाली, सरसीवां जिला– बलौदाबाजार–भाटापारा
2	सांत्वना मनोपचार एवं अनुसंधान संस्थान पी.जी. इंस्टिट्यूट आफ बिहेवियेरले एंड मेडिकल साइंसेस रायपुर (छ.ग.)
3	दाऊ कल्याण सिंह सोनवानी महाविद्यालय जी – जामगांव, जिला–धमतरी (छ.ग.)
4	श्री रावतपुरा सरकार कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.–129, ग्राम–धनेली, पो.–माना कैम्प, रायपुर
5	रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन कॉलेज, ग्राम– धनेली, माना, रायपुर
6	श्रीमती प्रमिला गोकुल दास डागा कन्या महाविद्यालय, कचहरी चौक, रायपुर
7	आदर्श महाविद्यालय, दतरेंगा, रायपुर
8	गुरूकुल महाविद्यालय, मगरलोड, जिला–धमतरी (छ.ग.)
9	श्रीराम कालेज, ग्राम व पोस्ट–सारागांव, जिला– रायपुर (छ.ग.)
10	शिक्षा स्नातक महाविद्यालय मांढर, रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)
11	सजग महाविद्यालय, सारागांव जिला– रायपुर
12	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर (छ.ग.)
13	ग्रेसियस कॉलेज आफ एजुकेशन, बेलभाटा, अभनपुर, रायपुर (छ.ग.)

14	क्रृति इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन, नरदहा, रायपुर
15	कोलम्बिया कॉलेज ऑफ साईस एण्ड कामर्स, ग्राम– भुरकोनी पोस्ट. मांढ़र जिला– रायपुर
16	कोलम्बिया कालेज, प्लाट नं.–97, ग्राम–टेकारी, पो.आ.–मांढर, जिला–रायपुर (छ.ग.) 493111
17	इंडियन कालेज आफ एजुकेशन, स्टेशन रोड, महासमुंद (छ.ग.)
18	आर.के.एस. महाविद्यालय, तिल्दा–नेवरा, जिला–रायपुर (छ.ग.)
19	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर (छ0ग0)
20	छत्तीसगढ़ महतारी महाविद्यालय, भखारा जिला–धमतरी (छ.ग.)
21	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय एकता नगर, गुढ़ियारी, रायपुर (छ.ग.)
22	रामदर्शन इंस्टीट्युट ऑफ एजुकेशन, ग्राम– जंघोरा, पो.+तह.– पिथौरा जिला– महासमुंद
23	महाराजा अग्रसेन इंटरनेशनल कॉलेज, श्री रामनाथ भिमसेन मार्ग, समता कॉलोनी, रायपुर
24	सेंचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला–रायपुर (छ.ग.)
25	गुरूकुल इंस्टिट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला–गरियाबंद (छ.ग.)
26	श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, मुजगहन पो.आ.– सेजबहार, जिला– रायपुर
27	आकांक्षा लायंस इंस्टिट्यूट ऑफ लर्निंग एंड एम्पावरमेंट , अवंती विहार, रायपुर
28	विवेकानंद शिक्षा संस्थान, रामकृष्ण परमहंस नगर, कोटा, रायपुर (छ.ग.)
29	रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सराईपाली (छ.ग.)
30	वंदेमातरम महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी
31	सी.आई.टी. बी.एड्. कॉलेज, खसरा नं.–160, स्ट्रीट– एन.एच.–43, ग्राम–भेलवाडीह, अभनपुर, रायपुर
32	सी.आई.टी. साइंस एंड कामर्स कॉलेज, ग्राम–भेलवाडीह, अभनपुर, जिला–रायपुर (2022–23 एवं 2023–24)
33	आदर्श वाणिज्य एवं विाान महाविद्यालय, नई गंज मंडी, रायपुर
34	आर्यभट्ट कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोपरा, जिला–गरियाबंद
35	श्री पैरी गंगा महाविद्यालय मैनपुर, जिला–गरियाबंद
36	सेंट विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर
37	अभ्युदय कॉलेज, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर
38	गुरूकुल महिला महाविद्यालय, कालीबाड़ी, रायपुर
39	इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइंसेस देवभोग रोडद्व गरियाबंद, जिला–गरियाबंद
40	सांई सदन एजुकेशन स्कूल बेंद्री, तह.–अभनपुर, जिला–रायपुर

निर्णयः उपर्युक्त महाविद्यालयों को अंकित सत्र अनुसार अस्थायी वार्षिक संबद्धता प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की गई।

पूरक विषयसूची

01. **निम्नलिखित सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम की अनुशंसा पर विचार करना –**

1. Certificate Course in Analytical Technique
   Certificate Course in Soil and Water Analysis
   Certificate Course in Food Adulteration and Toxicology
   Certificate Course in Cement Chemistry
2. Certificate Course in Immunological Technique
   Certificate Course in Molecular Techniques
3. Certificate Course in Diagnostic Microbiology
   Certificate Course in Advance Techniques in Microbiology
4. Certificate Course on Rainwater harvesting

निर्णयः सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के प्रस्तावित अध्यादेश एवं विनियम की अनुशंसा निम्नानुसार किया गया–
अध्यादेश क्रमांक–203 एवं विनियम क्रमांक–205

1. **Certificate Course in Analytical Technique**
   Certificate Course in Soil and Water Analysis
   Certificate Course in Food Adulteration and Toxicology
   Certificate Course in Cement Chemistry

अध्यादेश क्रमांक–204 एवं विनियम क्रमांक–206

2. **Certificate Course in Immunological Technique**
   Certificate Course in Molecular Techniques

(8)

अध्यादेश क्रमांक–205 एवं विनियम क्रमांक–207

3. **Certificate Course in Diagnostic Microbiology**
   Certificate Course in Advance Techniques in Microbiology

अध्यादेश क्रमांक–206 एवं विनियम क्रमांक–208

4. **Certificate Course on Rainwater harvesting**

02. बी.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 107 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) एवं एम.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 85 MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (TWO YEARS) की अनुशंसा पर विचार करना।

निर्णयः बी.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 107 BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (BCA) एवं एम.सी.ए. के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 85 MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (TWO YEARS) के संबंध में शासन को अवगत कराते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

03. Revised BBA Ordinance No. 91 के संशोधन पर विचार करना।

निर्णयः Revised BBA Ordinance No. 91 के संबंध में शासन को अवगत कराते हुए आगामी बैठक में प्रस्तुत किए जाने की अनुशंसा की गई।

धन्यवाद ज्ञापन करने के साथ बैठक संपन्न हुई।

19/12/23
कुलपति
अध्यक्ष

19/12/23
कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 2061/अका./वि.प.स्थायी समिति/2023 रायपुर, दिनांक 19 /12/2023

प्रतिलिपि :–

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
3. उ.कु.स. परीक्षा/सामान्य प्रशासन/स.कु.स. गोपनीय,
4. संचालक, आई.क्यू.ए.सी.,
5. कुलपति/कुलसचिव के निज सहायक, पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु अग्रेषित्।

उप–कुलसचिव (अका.)

ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये
प्रा. मनिष र. जोशी
सचिव
Prof. Manish R. Joshi
Secretary

Rector
-for n.a. pls.
7/12/23

सत्यमेव जयते

भारत 2023 INDIA
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

D. O. No. F. 1-13/2022 (CPP-II) **5th December, 2023/ 14 अग्रहायण,1945**

Subject: Appointment of Ombudsperson(s) as provided in the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023

Respected Madam/Sir,

As you are aware, the UGC notified the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023 in the Official Gazette on 11 April 2023 (available on UGC website). The Universities were requested to appoint Ombudsperson(s) within 30 days of the notification of the Regulations vide letter dated 12 April 2023. This was followed with several reminders.

The Universities are required to comply with the Regulations by constituting Students Grievance Redressal Committee (SGRC) any by appointing Ombudspersons.

However, it is understood that some universities are yet to comply with the Regulations. The matter is being viewed seriously.

I write to request you again to promptly appoint Ombudsperson(s) and implement other provisions of UGC Regulations on or before **31 December 2023.**

A compliance report may be sent to:

In case of a Central University: **mssarma.ugc@nic.in**
In case of a State University: **smitabidani.ugc@nic.in**
In case of a Deemed to be University: **jitendra.ugc@nic.in**
In case of a Private University: **shakeel.ugc@nic.in**

Since enough opportunities have been provided to the Universities, it has been decided to publish the names of defaulting Universities on the website of UGC after 31 December 2023.

In case a defaulting University desires to make a representation against inclusion of its name in the list of defaulting universities, it may be sent to the Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi-110002, before 31 December 2023.

It may be added that in case of a continuous non-compliance, the UGC may be constrained to take punitive action(s) against such Universities as per provisions of the Regulations.

With regards,

Note:

If a University has already complied with the provisions of the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023, no action needs to be taken by the University on this communication.

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

To

The Vice-Chancellors of Central, State, Private and Deemed to be Universities

1385
08/12/23

ONE EARTH · ONE FAMILY · ONE FUTURE

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11042023-245095
CG-DL-E-11042023-245095

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 11, 2023/चैत्र 21, 1945
No. 233] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 11, 2023/CHAITRA 21, 1945

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023

F.1-13/2022(CPP-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (छ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2019 के अधिक्रमण में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतदद्वारा निम्नलिखित नियम बनाता है, नामत:-

1. **संक्षिप्त नाम, विनियोग और प्रारंभ:**

(क) इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

(ख) वे ऐसे सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों पर लागू होंगे, जिन्हें किसी केंद्रीय अधिनियम अथवा राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या निगमित गया हो और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत मान्यता-प्राप्त सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों तथा ऐसे सभी सम विश्वविद्यालय सस्थानों पर लागू होंगे जिन्हें तत्संबंध की धारा 3 के तहत विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो।

(ग) वे शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. उद्देश्य:

किसी संस्थान में पहले से ही नामांकित छात्रों और साथ ही ऐसे संस्थानों में प्रवेश के इच्छुक छात्रोंकी कतिपय शिकायतों के निवारण के लिए अवसर प्रदान करना और उसके लिए एक तंत्र स्थापित करना।

3. परिभाषा:

(1) जब तक कि इन विनियमों केसंदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो –

(क) "अधिनियम" का अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) से है;

(ख) "पीड़ित छात्र" से अभिप्राय किसी ऐसे छात्र से है जिसे इन विनियमों के तहत परिभाषित शिकायतों के संबंध में किसी मामले अथवा तत्संबंधी किसी मामले में कोई शिकायत हो।

(ग) "महाविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 12ए की उपधारा (1) के खंड (ख) में इस प्रकार से परिभाषित किसी संस्थान से है।

(घ) "आयोग" से अभिप्राय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के तहत स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है।

(ङ) "घोषित प्रवेश नीति" का अभिप्राय संस्थान द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश के लिए संस्थान की विवरणिका में प्रकाशित की गई किसी ऐसी नीति से है, जिसमें उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं।

(च) "शिकायत" का अभिप्राय, और इसमें निम्नवत् के संबंध में किसी पीड़ितछात्र द्वारा की गई शिकायत (शिकायतें) शामिल हैं, नामत:

i. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप निर्धारित की गई योग्यता के विपरीत प्रवेश दिया जाना;

ii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहत प्रक्रिया में अनियमितताएं;

iii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के अनुरूप प्रवेश देने से इंकार किया जाना;

iv. इन विनियमों के उपबंधों के अनुरूप, संस्थान द्वारा विवरणिका का प्रकाशन न किया जाना;

v. संस्थान द्वारा विवरणिका में ऐसी कोई जानकारी देना जोकि झूठी या भ्रामक होऔर तथ्यों पर आधारित न हो;

vi. किसी छात्र द्वारा ऐसे संस्थान में प्रवेश लेने के प्रयोजन से जमा किए गए किसी दस्तावेज जोकि उपाधि, डिप्लोमा या किसी अन्य पुरस्कार के रूप में हो,उसको अपने पास रख लेना या वापस करने से इंकार करना ताकि ऐसे किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के संबंध में छात्र को किसी शुल्क अथवा शुल्कों का भुगतान करने हेतु तैयार किया जा सके अथवा मजबूर किया जा सकें जिसमें छात्र अध्ययन नहीं करना चाहता हो;

vii. संस्थान की घोषित प्रवेश नीति में निर्धारित राशि से अधिक धनराशि की मांग करना।

viii. छात्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए प्रवेश में सीटों के आरक्षण के संबंध में वर्तमान में लागू किसी कानून का संस्थान द्वारा उल्लघंन किया जाना;

ix. ऐसे किसी संस्थान की घोषित प्रवेश नीति के तहतअथवा आयोग द्वारा विहित किन्हीं शर्तों, यदि कोई हो तो, के तहत किसी भी छात्र हेतु ग्राह्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का भुगतान नहीं किया जाना अथवा विलम्ब से भुगतान किया जाना;

x. संस्थान के शैक्षणिक कैलेंडर मेंअथवा आयोग द्वारा विहित ऐसे किसी कैलेंडर में विनिर्दिष्ट अनुसूची से इतर परीक्षाओं के आयोजन मेंअथवा परीक्षा के परिणामों की घोषणा में विलम्ब करना;

xi. विवरणिका में यथा उल्लिखितअथवा संस्थान द्वारा लागू किसी कानून के किसी उपबंध के तहत यथा अपेक्षित छात्रोंकी सुविधा प्रदान करने में संस्थान द्वारा विफल रहना;

xii. छात्रोंके मूल्यांकन के लिए संस्थान द्वारा अपनाई गई गैर-पारदर्शी अथवा अनुचित पद्धतियां;

xiii. ऐसे किसी छात्र को शुल्क के प्रतिदाय में विलंब करना, अथवा इंकार करना जो कि विवरणिका में उल्लिखित समय के भीतर, बशर्ते यह समय-समय पर आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन हो, नामांकन वापस लेता है;

xiv. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिला, अल्पसंख्यक अथवा दिव्यांग श्रेणियों के छात्रोंसे कथित भेदभाव की शिकायत;

xv. प्रवेश दिए जाने के समय जैसा भरोसा दिलाया गया था अथवा प्रदान किया जाना अपेक्षित था के अनुरुप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान नहीं किया जाना;

xvi. छात्र के उत्पीड़न के अन्य मामलों के अलावा जिन पर वर्तमान में लागू किसी कानून के दंडात्मक उपबंधो के तहत कार्रवाई की जानी हो, छात्र का उत्पीड़न किया जाना अथवा उसे निशाना बनाया जाना।

xvii. संस्थान के कानूनों, अध्यादेशों,नियमों, विनियमों, या दिशा -निर्देशों के विपरीत कोई कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना; तथा

xviii. आयोग और/अथवा संबंधित नियामक निकाय द्वारा बनाए गए/जारी किए गए नियमों और/या दिशा -निर्देशों के विपरीत कोई भी कार्रवाई किया जाना अथवा शुरू किया जाना।

(छ) "संस्थान" से तात्पर्य विश्वविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम कीधारा 2 की उप-धारा (एफ)में परिभाषित है, एक संस्थान जिसे अधिनियम3 के तहत विश्वविद्यालय माना गया हैऔर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 कीधारा12ए (1) (बी) में परिभाषित एक महाविद्यालय से है।

(ज) "लोकपाल" का अभिप्राय इन विनियमों के तहत नियुक्त लोकपाल से है।

(झ) "विवरणिका" का अभिप्राय और इसमें ऐसा कोई प्रकाशन शामिल है, चाहे वह मुद्रित स्वरूप में अथवा अन्यथा हो, जिसे जनसाधारण (जिसमें ऐसे संस्थान में प्रवेश पाने के इच्छुकों सहित) को एक संस्था से संबंधित निष्पक्ष और पारदर्शी जानकारी प्रदान करने के लिए ऐसे संस्थान अथवा किसी प्राधिकरण अथवा ऐसे संस्थान द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा जारी किया गया हो;

(ञ) "छात्र"से अभिप्राय किसी ऐसे संस्थान जिसमें यह विनियम लागू होते हैं,में किसी भी माध्यम से अर्थात औपचारिक/मुक्त और दूरस्थ शिक्षा (ओडीएल)/ऑनलाइन से नामांकित किसी व्यक्ति अथवा नामांकित होने के लिए प्रवेश प्राप्ति के इच्छुक से हैं;

(ट) "छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी)" का अभिप्राय एक संस्थान के स्तर पर इन विनियमों के तहत गठित एक समिति से है; तथा

(ठ) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय अधिनियम की धारा 2 की खंड (च) में यथा परिभाषित किसी विश्वविद्यालय से हैअथवा जहां संदर्भ के अनुसार,तत्संबंध की धारा 3 के तहत इस प्रकार घोषित कोई सम विश्वविद्यालय संस्थान से है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और परिभाषित नहीं किए गए लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में उनके लिए निर्धारित किए गए हैं।

4. विवरणिका का अनिवार्य प्रकाशन, इसकी विषयवस्तु तथा मूल्य निर्धारण

(1) प्रत्येक संस्थान, अपने पाठ्यक्रम या अध्ययन के किसी भी कार्यक्रम में प्रवेश आरंभ करने की तिथि से कम से कम साठ दिन की समाप्ति से पूर्व अपनी वेबसाइट पर एक विवरणिका प्रकाशित और/अथवा अपलोड करेगा, जिसमें इस तरह के संस्थान में प्रवेश लेने के इच्छुक व्यक्तियों और आम जनता की जानकारी के लिए निम्नवत् जानकारी अंतर्विष्ट होगी, यथा;

(क) प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के लिए, शिक्षण के घंटों, व्यावहारिक सत्रों और अन्य कार्य के साथ-साथ अध्ययन के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों की सूची सहित उपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण अथवा संस्थान, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्दिष्ट पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखाः

(ख) जिस शिक्षा वर्ष हेतु प्रवेश दिए जाने का प्रस्ताव हो, उसके प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन के कार्यक्रम के संबंध मेंउपयुक्त सांविधिक प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित सीटों की संख्या;

(ग) संस्थान द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विशेष पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्यक्रम में छात्र के रूप में प्रवेश के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा सहित शैक्षिक योग्यता और पात्रता की शर्तें:

(घ) इस प्रकार के प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले योग्य उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, जिसमें प्रत्येक पाठ्यक्रम अथवा अध्ययन कार्य्रक्रम में प्रवेश के लिए ऐसे अभ्यर्थियों के चयन के लिए परीक्षा या इम्तहान के विवरण के संबंध में सभी संगत जानकारी और प्रवेश परीक्षा के लिए निर्धारित शुल्क की राशि शामिल है;

(ङ) किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम में अध्ययन करने के लिए ऐसे संस्थान में भर्ती किए गए छात्रों द्वारा देय शुल्क, जमा राशियों और अन्य प्रभारों के प्रत्येक घटक और ऐसे भुगतानों की अन्य निबंधन और शर्तेः

(च) शास्ति लगाए जाने और संग्रहण किए जाने हेतु नियम/विनियम, विनिर्दिष्ट शीर्ष अथवा श्रेणियां, लगाए जाने वाली शास्ति की न्यूनतम और अधिकतम राशि;

(छ) ऐसे संस्थानों में दाखिला लेने वाले छात्रों द्वारा यदि पाठ्यक्रम या अध्ययन कार्यक्रम के पूरा होने से पहले अथवा के बाद दाखिला छोड़ दिया जाता है तो छात्रोंको प्रतिदाय किए जाने वाले शिक्षण शुल्क और अन्य प्रभारों का प्रतिशत तथा समय सीमा जिसके भीतर तथा पद्धति जिससे छात्रोंको ऐसा प्रतिदाय किया जाएगा;

(ज) उनकी शैक्षिक योग्यता शिक्षण संकाय का विवरण, उनकी नियुक्ति का स्वरूप (नियमित/अभ्यागत/अतिथि) और उसके प्रत्येक सदस्य के शिक्षण अनुभव के साथ;

(झ) भौतिक और शैक्षणिक बुनियादी ढांचे और छात्रावास तथा इसके शुल्क, पुस्तकालय, चिकित्सालय अथवा उद्योग, जहां छात्रोंको व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाना हो, सहित अन्य सुविधाओं के संबंध में जानकारी और विशेषरूप से छात्रों द्वारा संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने पर प्राप्त होने वाली सुविधाओं का ब्यौरा अंतर्विष्ट हो;

(ञ) संस्थान के परिसर के भीतर अथवा बाहर छात्रोंद्वारा अनुशासन बनाए रखने के संबंध में सभी संगत निदेशऔर विशेषरूप से किसी छात्र अथवा छात्रों की रैगिंग निषिद्ध करने संबंधी ऐसेअनुशासन को बनाए रखने और उनका उल्लघंन किए जाने के परिणामों और संगत सांविधिक विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में तैयार किए गए किसी विनियम के उपबंधों का उल्लघंन किए जाने के परिणामों का ब्योरा अंतर्विष्ट होगा; तथा

(ट) आयोग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य जानकारीः

बशर्ते प्रत्येक संस्थान इस विनियम के खंड (क) से (ट) में उल्लिखित जानकारी को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित/अपलोड करेगाऔर विभिन्न समाचार -पत्रों और अन्य मीडिया के माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित करते हुए विज्ञापनों के माध्यम से इच्छुक छात्रों और आम जनता का ध्यान वेबसाइट पर इस तरह के प्रकाशन की ओर दिलाया जाएगा।

2. प्रत्येक संस्थान अपनी विवरणिका की प्रत्येक मुद्रित प्रति का मूल्य निर्धारित करेगा, जोकि विवरणिका के प्रकाशन और वितरण की उचित लागत से अधिक नहीं होगी और विवरणिका के प्रकाशन, वितरण या बिक्री से कोई लाभ अर्जित नहीं किया जायेगा।

5. छात्र शिकायत निवारण समितियां (एसजीआरसी)

(i) संस्थान से संबंधित किसी पीड़ित छात्र की किसी भी शिकायत छात्र शिकायत निवारण समिति (एसजीआरसी) के अध्यक्ष को संबोधित की जाएगी।

(ii) प्रत्येक संस्थान छात्रोंकी शिकायतों पर विचार करने के लिए निम्नलिखित संरचना के साथ उतनी संख्या में छात्रों की शिकायत निवारण समितियों (एसजीआरसी) का गठन करेगा, जितने किआवश्यकता हो सकती है, नमात;

क) एक प्रोफेसर – अध्यक्ष

ख) संस्थान के चार प्रोफेसर/वरिष्ठ संकाय सदस्य- सदस्य के रूप में।

ग) शैक्षिक योग्यता/खेल -कूद में उत्कृष्टता/सह-पाठ्यचर्या गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर नामित किए जाने वाले छात्रोंमें से एक प्रतिनिधि- विशेष आमंत्रित।

घ) अध्यक्ष अथवा कम से कम एक सदस्य का महिला होना चाहिए तथा कम से कम एक सदस्य अथवा अध्यक्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए।

ङ) अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

च) विशेष आमंत्रित सदस्य का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

छ) बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित लेकिन विशेष आमंत्रित व्यक्ति को छोड़ कर तीन का होगा।

ज) एसजीआरसी अपने समक्ष आने वाली शिकायतों पर विचार करते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करेगा।

झ) एसजीआरसी अपनी रिपोर्ट सिफारिशों के साथ, यदि कोई हो, संबंधित संस्था के सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा और उसकी एक प्रति पीड़ित छात्र को, अधिमानतः शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 15 कार्य दिवसों की अवधि के अंदर भेजेगा।

ञ) छात्रों की शिकायत निवारण समिति के निर्णय से पीड़ित कोई भी छात्र इस प्रकार के निर्णय की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों की अवधि के भीतर लोकपाल के समक्ष अपील कर सकता है।

6. लोकपाल की नियुक्ति, सेवाकाल, पद से हटाया जाना और सेवा की शर्तें:

(i) प्रत्येक विश्वविद्यालय इन विनियमों के तहत विश्वविद्यालय के छात्रों और महाविद्यालय /विश्वविद्यालय से जुड़े संस्थानों के छात्रों की शिकायतों के समाधान के लिए लोकपाल की नियुक्ति करेगा।

(ii) एसजीआरसी के निर्णयों के विरुद्ध की गई अपीलों को सुनने और उन पर निर्णय लेने के लिए लोकपाल के रूप में नामित एक या अधिक अंशकालिक पदाधिकारी होंगे।

(iii) लोकपाल सेवानिवृत्त कुलपति या सेवानिवृत्त प्रोफेसर (जिन्होंने अधिष्ठाता (डीन)/विभाग प्रमुख के रूप में काम किया हो) होंगे और उनके पास राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालयों/राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों/सम विश्वविद्यालयों या पूर्व जिले में न्यायाधीश के रूप में 10 वर्ष का अनुभव रहा हो।

(iv) लोकपालनियुक्ति के समय, नियुक्ति से पहले एक वर्ष के दौरानया लोकपाल के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, संस्थान के साथ हितों के टकराव में नहीं होंगे जहाँ उनके व्यक्तिगत संबंध, पेशेवर संबद्धता या वित्तीय हित समझौता कर सकते हैं या उचित रूप से संस्थान के प्रति निर्णय की स्वतंत्रता से समझौता करने के लिए प्रतीत हो सकते हैं।

(v) लोकपाल को पद ग्रहण करने की तिथि सेतीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किया जाएगाऔर एक और कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(vi) सुनवाई का संचालन करने के लिएलोकपाल को संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रति दिनप्रति बैठक के अधार पर शुल्क का भुगतान किया जाएगा और इसके अतिरिक्त, वे यात्रा पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे।

(vii) कदाचार या दुर्व्यवहार के सिद्ध आरोपों पर विश्वविद्यालय लोकपाल को पद से हटा सकता है।

(viii) लोकपाल को हटाने का कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि इस संबंध में किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जांच नहीं कर ली जाती है, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के पद से नीचे के पद का व्यक्ति ना हो, और जिसमें लोकपाल को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो।

7. लोकपाल के कार्यकरण:

(i) लोकपाल, छात्र द्वारा इन विनियमों के तहत उपबंधित सभी विकल्पों को अपनाने के पश्चात् ही पीड़ितछात्र की अपील की सुनवाई करेंगे।

(ii) यद्यपि, परीक्षा के संचालन में अथवा मूल्यांकन की प्रक्रिया में गड़बड़ी के मुददों को लोकपाल को संदर्भित किया जा सकता है, तथापि, लोकपाल द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमूल्यांकन अथवा अंको को पुनः योग करने हेतु कोई अपील अथवा आवेदन पर लोकपाल द्वारा सुनवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि भेदभाव की किसी विशिष्ट घटना के परिणामों को प्रभावितकरने वाली किसी विशिष्ट अनियमितता को इंगित नहीं किया जाता है।

(iii) लोकपाल, कथित रूप से किए गए भेदभाव की शिकायतों की सुनवाई करने के लिएन्याय मित्र के रूप में किसी भी व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकता है।

(iv) लोकपाल पीड़ितछात्र (छात्रों)से अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर शिकायतों का समाधान करनेके लिए सभी प्रयास करेंगे।

8. लोकपाल तथा छात्र शिकायत निवारण समितियों द्वारा शिकायतों के निवारण हेतु प्रक्रिया

(i) प्रत्येक संस्थान,इस अधिसूचना के जारी होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर एक ऑनलाइनपोर्टल तैयार करेगा, जहां कोई भी पीड़ितछात्र अपनी शिकायत के निवारण के लिए आवेदन कर सकता है।

(ii) ऑनलाइन शिकायत प्राप्त होने पर संस्थान, ऑनलाइन शिकायत की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतरअपनी टिप्पणियों सहित शिकायत को उपर्युक्त छात्र शिकायत निवारण समिति को भेजेगा।

(iii) छात्र शिकायत समिति, जैसा भी मामला हो, शिकायत की सुनवाई के लिए एक तिथि निर्धारित करेगी जिसकी जानकारी संस्थान और पीड़ितछात्र को दी जाएगी।

(iv) पीड़ित छात्र या तो व्यक्तिगत रूप से पेश हो सकता है अथवा अपना पक्ष रखने के लिए अपने किसीप्रतिनिधि को अधिकृत कर सकता है।

(v) छात्र शिकायत निवारण समिति द्वारा समाधान नहीं की गई शिकायतों को इन विनियमों में उपबंधित समयावधि के भीतर लोकपाल को भेजा जाएगा।

(vi) संस्थान, शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतुलोकपाल अथवा छात्र शिकायत निवारण समिति (समितियों), जैसा भी मामला हो, कासहयोग करेगें।

(vii) लोकपाल, संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, कार्यवाही के समापन पर, तत्संबंधी कारणों के साथ, इस प्रकार का आदेश पारित करेगा, जैसा कि शिकायत के निवारण के लिए उपयुक्त समझा जा सकता है और ऐसी राहत प्रदान कर सकता है जो पीड़ित छात्र के लिए उपयुक्त हो सकती है।

(viii) संस्थान के साथ ही साथ पीड़ितछात्र को लोकपाल के हस्ताक्षर के तहत जारी की गई आदेश की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ix) संस्थान, लोकपाल की सिफारिशों का अनुपालन करेगा।

(x) जहां शिकायत झूठी या तुच्छ पाई जाती है उस स्थिति में लोकपाल शिकायतकर्ता के विरूद्ध उपर्युक्त कार्रवाई किए जाने की सिफारिश कर सकता है।

9. लोकपाल और छात्र शिकायत निवारण समितियों के संबंध में जानकारी:

संस्थान अपनी वेबसाइट और अपनी विवरणिका में स्पष्ट रूप से इसके क्षेत्राधिकार में आने वाली छात्र शिकायत निवारण समिति(समितियों) तथा अपील किए जाने के प्रयोजनार्थ लोकपाल के संबंध में सभी संगत जानकारियां उपलब्ध कराएगा।

10. अनुपालन नहीं किए जाने के परिणाम

आयोग, किसी भी संस्थान के संबंध में, जो जानबूझकर इन विनियमों का उल्लंघन करते हैं अथवा बार-बार लोकपाल या छात्र शिकायत निवारण समितियों की सिफारिश का पालन करने में विफल रहते हैं, जैसा भी मामला हो, जब तक संस्थान आयोग की संतुष्टि तक इन विनियमों का अनुपालन नहीं करता है, तब तक संस्थान के विरूद्ध निम्नवत् एक या एक से अधिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं,

क) अधिनियम की धारा 12बी के तहत अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्तता की घोषणा को वापस लेना;

ख) संस्थान को आवंटित किसी अनुदान को रोका जा सकता है;

ग) आयोग के किसी भी सामान्य अथवा विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत किसी भी सहायता को प्राप्त करने हेतु विचार किए जाने के लिए संस्थान को अयोग्य घोषित करना:

घ) संस्थान को एक निर्दिष्ट अवधि के लिए ऑनलाइन/मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रम की पेशकश करने के लिए अयोग्य घोषित करना;

ङ) ऑनलाइन/ मुक्त ओर दूरस्थ शिक्षा माध्यम से पाठ्यक्रमों की पेशकश करने की स्वीकृति को वापस लेना/रोकना/निलंबित करना;

च) उपयुक्त मीडिया में प्रमुखता से प्रदर्शित कर और आयोग की वेबसाइट पर पोस्ट कर प्रवेश हेतु संभावित अभ्यर्थियों सहित जनसाधारण को सूचित करनातथा इस बाबत घोषणा करना कि संस्थान में शिकायतों के निवारण के लिए न्यूनतम मानक मौजूद नहीं हैं।;

छ) महाविद्यालय के मामले में, संबद्धता को वापस लेने के लिए संबद्ध विश्वविद्यालय को सिफारिश करना;

ज) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में ऐसी कार्रवाई करना, जो आवश्यक, उचित एवं उपयुक्त हो;

झ) सम विश्वविद्यालय संस्थान के मामले में सम विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में घोषणा को वापस लिए जाने के लिए, यदि आवश्यक हो तो, केंद्र सरकार को सिफारिश करना;

ञ) राज्य अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अथवा निगमित विश्वविद्यालय के मामले में राज्य सरकार को आवश्यक एवं उचित कार्रवाई करने की सिफारिश करना;

ट) गैर अनुपालना के लिए संस्थान के प्रति ऐसी कार्रवाई करना जो आवश्यक एवं उपयुक्त समझी जाए।

बशर्ते इन विनियमों के अंतर्गत आयोग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि संस्थान को अपनी स्थिति को स्पष्ट करने एवं उसके पक्ष को सुने जाने का अवसर नहीं दिया गया हो।

11. इन विनियमों में उल्लिखित कोई भी शर्त, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रोंकी शिकायत निवारण) विनियम, 2019 के प्रावधानोंके अंतर्गत नियुक्त किसी पदधारी लोकपाल के कार्यकाल की अवधि के दौरान उसके पद पर बने रहने को प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं करेगी; कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् लोकपाल की नियुक्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) के विनियम, 2023 के अनुरूप की जाएगी।

प्रा. मनिष र. जोशी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./13/2023-24]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2023

University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023

F.1-13/2022 (CPP-II).— In exercise of the powers conferred under clause (g) of sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), and in supersession of the University Grants Commission (Redress of Grievances of Students) Regulations, 2019, the University Grants Commission hereby makes the following regulations, namely -

1. SHORT TITLE, APPLICATION,AND COMMENCEMENT:

(a) These regulations shall be called as the University Grants Commission (Redressal of Grievances of Students) Regulations, 2023.

(b) They shall apply to all higher education institutions, whether established or incorporated by or under a Central Act or a State Act, and every institution recognized by the University Grants Commission under clause (f) of Section 2 of the University Grants Commission Act, 1956 and to all institutions deemed to be a University declared as such under Section 3 therein and to all higher education institutions affiliated to a University.

(c) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. OBJECTIVE

To provide opportunities for redressal of certain grievances of students already enrolled in any institution, as well as those seeking admission to such institutions, and a mechanism thereto.

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

Phone No. 0771-2262587 Website : prsu.ac.in,

क्रमांक /805 /अका./प्रवेश अधिसूचना/2023 रायपुर, दिनांक 27/09/2023

//अधिसूचना//

शैक्षणिक सत्र 2023–24 हेतु विशेष परिस्थिति के रूप में छात्रहित को ध्यान में रखते हुए विधि अध्ययनशाला के अंतर्गत एल.एल.एम. पाठ्यक्रम के प्रथम सेमेस्टर में वर्तमान में निर्धारित 45 सींट की संख्या में वृद्धि कर 55 सीटें (10 पेमेन्ट कोटा) निर्धारित की जाती है।

उपर्युक्त सीटों की वृद्धि के एवज में अध्ययनशाला को अतिरिक्त संसाधन प्रदाय नहीं किया जाएगा।

आदेशानुसार,
(हस्ताक्षर) 27/9/23
कुलसचिव

पृ. क्रमांक /806 /अका./प्रवेश अधिसूचना/2023 रायपुर, दिनांक 27/09/2023

प्रतिलिपिः–

1. अध्यक्ष, विधि अध्ययनशाला को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. प्रो. के.के. घोष, समन्वयक विवरण पत्रिका समिति को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशालाओं को सूचनार्थ।
4. उपकुलसचिव, परीक्षा/सामान्य प्रशासन विभाग को सूचनार्थ।
5. सहायक कुलसचिव, गोपनीय विभाग को सूचनार्थ।
6. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर को सूचनार्थ।

(हस्ताक्षर)
उपकुलसचिव (अका.)